

घाटनी घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 345- शनिवार 17- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

काँकरोच जनता पार्टी का तिरंगा मार्च पुलिस ने रोका दीपके-नेहा हिरासत में...150 प्रदर्शनकारी डिटैन,कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। काँकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' रैली बुलाई थी। हालाँकि आसपास इलाके में धारा 163 लागू थी। जिसके चलते काँकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके को वहाँ जाने नहीं दिया गया। दीपके दिल्ली में एनसीपी-एस्पी के एक प्रवक्ता के घर रुके थे। वह जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं एआईएएस अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस से कस्टडी में लिया गया। कुल 150 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। 6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले दीपके ने एक वीडियो मेसेज जारी कर कहा- दिल्ली पुलिस से 7-8 पुलिसवाले आए। वे बोले कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। आप तिरंगा लहराने जा नहीं सकते। मतलब अपने ही देश में तिरंगा लहराने से मना किया जा रहा है।

स्टूडेंट्स एसोसिएशन बोला...नेहा को अनजान जगह रखा : अल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक्स पर लिखा कि AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को मंगोपुरी स्थित



सीजेपी बोली- दीपके को अनजान जगह ले गई पुलिस

सीजेपी ने कहा...दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को किसी अनजान जगह पर ले गई है। हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें वकीलों से बात करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। यह सरकार युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? हम भारत के समान नागरिक हैं और संविधान में मिले सभी अधिकारों और सुरक्षा के हकदार हैं।

ममता बोली- यह किसी अधोषित आपातकाल से कम नहीं है...

ममता बनर्जी ने कहा कि अभिजीत दीपके को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हाथ में रखने के लिए हिरासत में लिया गया है। जय सोचिए, स्वतंत्र भारत में हमारे युवाओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने पर हिरासत में लिया जा रहा है। यह किसी अधोषित आपातकाल से कम नहीं है। असहमति से उठने वाली सरकार अब पूरी पीढ़ी को चुप कराने के लिए उठाने की कोशिश कर रही है।

एटी-नारकोटिक टास्क फोर्स स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद काले शीशों वाली एक कार में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। नेहा को कहाँ रखा है, दिल्ली पुलिस जवाब दे।

काँकरोच जनता पार्टी बोली...सरकार को लोकतांत्रिक ताकत से डर है...

काँकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह राष्ट्रीय ध्वज लेकर निर्धारित स्थान की ओर जा रहे थे। काँकरोच जनता पार्टी के अनुसार, यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन को किसी अव्यवस्था से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हाथों में तिरो की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर है।

दीपके बोले...फांसी पर चढ़ दो ना, क्या मजबूत है ये...

अभिजीत दीपके जहाँ उठे हुए थे, पुलिस वहाँ पहुँची थी। दीपके और पुलिस की बहस भी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपके ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है, वही लिख रहे हैं। यह बेतुका है। फांसी पर चढ़ा दो ना।

सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी का प्रदर्शन रोकने से इनकार.. कहा...किसी के लिए प्रदर्शन जरूरी, किसी के लिए मूंगफली बेचना, दावा-रोजाना 200 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने प्रदर्शन से जुड़ी अन्य याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था चाहता है, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हैं।' 'प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली नगर परिषद ने सेंट्रल पार्क बंद करने का आदेश दिया है। व्यापारियों का दावा है कि इससे कनॉट प्लेस बाजार में रोजाना 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की है। शुक्रवार सुबह सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की।



कोर्ट बोला...सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा... 'हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि सभी छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। हम जानते हैं कि पूरे परिवारों को किन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।' 'याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेंट्रल पार्क बंद होने से ठेके वालों और छोटे व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन के कारण उन्हें नुकसान होने का खतरा है। व्यापारी संगठनों ने त्योहार और शादी के सोजान में मध्य दिल्ली में प्रदर्शन के कारण संभावित कारोबार नुकसान का मुद्दा उठाया है। याचिका ये भी कहा गया कि 10 अक्टूबर से प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

भारत और जापान स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे : सीतारमण



नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए जमीनी स्तर पर, खासकर नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में व्यापक सुधारों की जरूरत है। सीतारमण ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-विश्व बैंक की सालाना बैठकों के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में शहरों को निवेश योग्य बनाने के लिए मिलकर काम करना-शहरी और जल अवसंरचना के लिए निजी पूंजी जुटाना विषय पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए स्थानीय निकायों (शहरी नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों) में सुधारों को गति देना होगा। सीतारमण ने सरकार के सभी स्तरों पर सुधारों की जरूरतों पर कहा कि भारत सरकार अव्यवस्था को खोलने और वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए भी निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था तीन स्तरों वाली है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय भी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्थानीय निकायों में शहरी नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतें आती हैं। सीतारमण ने कहा, 'तीसरा स्तर स्थानीय नगरपालिकाओं, कस्बों की नगरपालिकाओं और गांवों का है।' उन्होंने इस स्तर पर सुधारों को और गति देने की जरूरत बताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां विश्व बैंक-आईएमएफ की वार्षिक बैठकों के दौरान जापान के फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के गवर्नर काजुहिको अमाकावा से मुलाकात की।

केंद्र ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर घटाया..

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार ने शुक्रवार से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए निर्यात होने वाले पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर में कटौती की गई है। एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस पखवाड़े के लिए डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को घटा दिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात में अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएडईएल) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर कुल मिलाकर अब ये शुल्क 8.5 रुपये प्रति लीटर लगेगा। पहले यह शुल्क 16 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि शुल्क में बदलाव 16 अक्टूबर से लागू होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाया था। इसके बाद हर पखवाड़े इसकी दरों में संशोधन किया जाता रहा है।

सरकार इस महीने संसद का स्पेशल सेशन बुला सकती है...

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें लोकसभा सीटें बढ़ने के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को पास कराया जाएगा। इनके जरिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 6 महीने (16 और 17 अप्रैल) पहले सरकार पहले प्रयास में कामयाब नहीं रही थी और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा नहीं पाई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने संख्याबल जुटा लिया है। विशेष सत्र बुलाने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था, लेकिन इसका अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। लोकसभा में 543 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं।

सर्पदंश हत्याकांड : पति को सांप से डसवाने वाली रविता को सजा-ए-मौत

प्रेमी को भी फांसी...मेरठ कोर्ट ने 3 दिन में 4 दोषियों को मौत की सजा दी...

मेरठ, 16 अक्टूबर 2026। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मेरठ के चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में दोनों को पहले ही हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडिजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अमित की हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई थी। शुरुआत में परिवार को भी यही बताया गया कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में हत्या की बात सामने आई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज करार्य थे।

अदालत ने किया मनुस्मृति का जिक्र, साक्षि का दिया उदाहरण

सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता। अदालत की टिप्पणी में



साक्षित्री का भी उल्लेख किया गया, जो यमराज से भिड़ गई थीं।

अमित की मां बोली...अब हुआ न्याय : फैसला सुनाए जाने के बाद अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जिस तरह मारा गया, उसी तरह आरोपियों को फांसी की सजा मिली है और अब उन्हें न्याय मिला है। वहीं नीला ड्रम हत्याकांड में भी अदालत ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में सौरभ की मां भी कोर्ट में अदालत का फैसला सुनने के लिए पहुंची थीं।

विस्तर पर मिला था अमित का शव, नीचे दबा था ज़िंदा सांप

यह घटना 13 अप्रैल 2025 की है। उस सुबह अमित कश्यप का शव उसके विस्तर पर मिला था। शव के नीचे एक ज़िंदा घोड़ा पछड़ सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी थे। उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। शुरुआत में परिजनों ने भी इसे सर्पदंश से हुई मौत माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, अमित का गला, नाक और मुँह दबाया गया था। दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। गला दबाने से गर्दन की हड्डी टूट गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर रविता और अमरदीप के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ाई।

पंजाब की आआपा सरकार नशा माफिया के खिलाफ करे निर्णायक कार्रवाई : नितिन नवीन

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में बढ़ते नशे के संकट और हालिया हत्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए नशा माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की। नितिन नवीन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि पंजाब में नशे का संकट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के महज दो दिन बाद गुरदासपुर में 40 वर्षीय बिक्रमजीत सिंह की हत्या की घटना ने राज्य में कानून-

व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इन घटनाओं को आआपा सरकार में लोगों की सुरक्षा से जोड़ते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। नितिन नवीन ने सवाल किया कि पंजाब में हालत ऐसे कैसे हो गए हैं कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज के प्रमुख लोगों को भी अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंता करनी पड़ रही है। नशे के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। भाजपा अध्यक्ष ने पंजाब में नशा माफिया के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।



पीएम-सेतु के तहत पांच आईटीआई क्लस्टर के उन्नयन के लिए 1,194.92 करोड़ मंजूर...

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री सिकलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर में पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) क्लस्टर के उन्नयन के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सचिव देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में योजना की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन मंजूरीयों के साथ पीएम-सेतु के तहत स्वीकृत कुल निवेश 3,687 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। योजना के तहत टाटा स्टील फाउंडेशन, बीबीजी इंडिया, बेलारुज इंडस्ट्रीज, इंगल इंड्रा इंडिया और इंदरदीप इंड्रा इंडिया पांच आईटीआई क्लस्टर के आधुनिकीकरण में भागीदारी करेंगे। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक,



उद्योग की जरूरतों के अनुरूप और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में बदलना है। बैठक में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निरंजन कुमार सुधांशु, संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, उद्योग भागीदारों और

बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने ओडिशा के कटक आईटीआई क्लस्टर के लिए 240.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इसका उन्नयन टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किया जाएगा। इस क्लस्टर में सरकारी आईटीआई कटक को हब बनाया जाएगा, जबकि चौद्वार, पारादीप, जानपुर और ढेंकनाल स्थित सरकारी आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे आईटीआई क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसका क्रियान्वयन बीबीजी इंडिया लिमिटेड और बीबीजी फाउंडेशन की साझेदारी में होगा। सरकारी आईटीआई औध, पुणे को हब बनाया जाएगा, जबकि औध महिला आईटीआई, पिंपरी चिंचवाड़, खेड़ (राजगुरुनगर) और मुलशी के सरकारी आईटीआई को इससे जोड़ा जाएगा।

पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत 'समर्थक' भारतीय नौसेना में शामिल, समुद्री क्षमता बढ़ेगी उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत राष्ट्र को समर्पित किया....

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। कनॉट के कारवार स्थित कर्दब नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत 'समर्थक' को भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़े में शामिल कर लिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को यह स्वदेशी पोत राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस समर्थक से नौसेना की भविष्य का परिचालन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिशनों के लिए एक

बहुमुखी उपयोगिता मंच के रूप में कार्य करेगा। भारतीय नौसेना को 27 अगस्त को सीपा गया यह जहाज सारे समुद्री परीक्षणों से गुजर चुका है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत चेन्नई के पास स्थित लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के कट्टरपल्ली शिपयार्ड में निर्मित इस पोत में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। बहुउद्देशीय पोत 'समर्थक' उन चार मल्टी-पर्स वेस्सल्स (बहुउद्देशीय पोतों) में से पहला है, जिन्हें भारतीय



नौसेना में शामिल किया गया है। इसे समुद्री बेड़े में शामिल किया जाना रक्षा क्षेत्र में भारत की

आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पोत भविष्य की नौसेना का एक

अहम हिस्सा बनेगा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अभियानों के लिए एक आदर्श 'उपयोगी' जहाज साबित होगा। मुख्य रूप से समुद्री निगरानी और गश्त के लिए डिज़ाइन किया गया 'समर्थक' कम लंबाई और अधिक गहराई, लक्ष्य पैनाती और परीक्षण प्लेटफॉर्म, मानवरहित/स्वायत्त प्रणालियों के लिए 'मदरशिप', मानवीय सहायता और आपदा राहत, सीमित अस्पताल जहाज में परिवर्तन और बचाव कार्यों में सहायता जैसे कई अन्य कार्यों में भी सक्षम है। यह

पोत एकीकृत कॉम्बैट सूट (युद्ध प्रणाली) स्वदेशी सेंसर, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से लैस है, क्योंकि इसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में काम करने के लिए तैयार किया गया है। समर्थक पोत के शिखर पर लहरों से निकलने वाले दुर्जय भारतीय हाथी को दर्शाया गया है, जो शक्ति, बुद्धिमत्ता और चपलता का प्रतीक है। इस जहाज का आदर्श वाक्य है 'विजयार्थम् एकनिष्ठता' यानी 'विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है'।

कानूनों के दुरुपयोग से उपजा संकट

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कानून के दुरुपयोग एवं उनकी जटिलताओं से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी। नई व्यवस्था के अनुसार अब जीएसटी अधिकारी कारोबारियों को जीएसटी कानूनों का हवाला देकर गिरफ्तार नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें कोर्ट से आदेश लेना होगा।इसमें संदेह नहीं कि देश में जीएसटी कानूनों का दुरुपयोग हुआ है,लेकिन यह दुरुपयोग केवल जीएसटी कानून या किसी एक कानून तक सीमित नहीं रहा है और यह भी आवश्यक नहीं है कि दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा ही किया गया हो,जनता द्वारा कानूनों के दुरुपयोग के मामले भी प्रायः सामने आते रहते हैं।कानून देश की नींव होते हैं और पूरे देश की सामाजिक, राजनीतिक,आर्थिक और विधिक संरचना कानूनों पर ही आधारित होती है। कानूनों का निर्माण एक और नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ समाज और देश में शांति, सुरक्षा,अनुशासन,व्यवस्था, विकास और प्रगतिशीलता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

कानूनों का निर्माण उनके ईमानदार एवं सच्चाई से उपयोग तथा अनुपालन के उद्देश्य से होता है,परंतु स्थिति तब विकट हो जाती है जब नेक नीयत से बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है। यह स्थिति देश में विधि के शासन पर स्थापित व्यवस्था के लिए न केवल गंभीर चुनौती पेश करती है, बल्कि उस अवधारणा को कमजोर कर उसके समक्ष विश्वास का संकट खड़ा कर देती है। भारत में व्यक्तिगत विवादों में कानूनों का दुरुपयोग एक पुरानी समस्या है,लेकिन आज यह केवल कुछ व्यक्तिगत विवादों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय-प्रणाली,पुलिस-तंत्र और मुकदमेबाजी की संस्कृति से जुड़ा एक गंभीर सरचनात्मक संकट बन चुका है।कानून का उपयोग अधिकारों और दायित्वों के ईमानदारी से क्रियान्वयन के लिए किया जाना चाहिए,लेकिन जब किसी कानून का प्रयोग दबाव डालने, प्रतिशोध लेने, लाभ-प्राप्ति के लिए या विलंब के एक औजार के रूप में होने लगे, तब उसका नैतिक और संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाता है।

देश में लंबित मामलों,विचाराधीन कैदियों और अत्यधिक बोझिल अपराधिक न्याय-व्यवस्था ने कानूनों के दुरुपयोग के लिए अनुकूल स्थिति बनाई है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार, 30 जुलाई, 2026 तक कुल 4,99,11,920 मामले लंबित थे,जिनमें लाखों अपराधिक और सिविल विवाद थे। 31 दिसंबर, 2024 तक भारत की जेलों की क्षमता 4,53,769 थी,लेकिन वहां 5,11,542 कैदी बंद थे, यानी जेलें 112.7 प्रतिशत क्षमता पर चल रही थीं। इसी तारीख पर 3,71,440 कैदी विचाराधीन कैदी थे,जो कुल जेल-जनसंख्या का लगभग 72.6 प्रतिशत था। भारत में सामान्यतः लगभग हरेक कानून का दुरुपयोग होता है, मगर सर्वोधिक दुरुपयोग वैवाहिक,पारिवारिक, संपत्ति-विवादों और जाति-भेदभाव संबंधी विवादों में दिखता है। कई मामलों में गंभीर शिकायतें वास्तविक होती हैं,लेकिन कुछ मामलों में शिकायतों का इस्तेमाल बदला,दबाव या समझौते के साधन के रूप में किया जाता है। घरेलू विवाद,देहज-संबंधी आरोप,संपत्ति पर कब्जे और पड़ोसियों के झगड़ों में झूठी प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में मुकदमे का परिणाम चाहे जो हो,लेकिन प्रक्रिया-भर में प्रतिवादी को सामाजिक,आर्थिक और मानसिक क्षति झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि दुरुपयोग की समस्या को केवल झूठे केस कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार से प्रक्रियात्मक दंड की समस्या भी है। समस्या का एक मूल कारण गिरफ्तारी की अत्यधिक उपयोग-प्रवृत्ति भी है।

कई मामलों में पुलिस पहले हिरासत,फिर जांच के सिद्धांत पर काम करती है। इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है,क्योंकि गिरफ्तारी स्वयं एक दंड बन जाती है। नौकरी, प्रतिष्ठा,परिवार,कारोबार और मानसिक स्वास्थ्य-इन सब पर गिरफ्तारी का प्रभाव पड़ता है,भले ही बाद में व्यक्ति सही हो जाए।इस संकट का समाधान कानूनों को अधिक सटीक,जवाबदेह और समयबद्ध बनाने में है। पहली आवश्यकता है गिरफ्तारी को अगवाद बनाना,कि स्वचालित प्रतिक्रिया। दूसरी,झूठी, दुर्भावनापूर्ण या बदले की भावना से दायर शिकायतों पर क्षतिपूर्ति और उचित दंड को प्रभावी बनाना। तीसरी,पुलिस और अभियोजन की प्रारंभिक जांच को अधिक विश्वसनीय बनाना,ताकि हर विवाद सीधे आपराधिक मुकदमे में न बदला जाए। चौथी,न्यायालयों की क्षमता बढ़ाकर लंबित मामलों को कम करना,क्योंकि देरी स्वयं दुरुपयोग की जमीन तैयार करती है। डिजिटल न्याय-प्रबंधन इस दिशा में उपयोगी हो सकता है।

यदि न्यायालय,पुलिस और अभियोजन के डाटा का नियमित विश्लेषण किया जाए,तो यह पहचाना जा सकता है कि कौन-से प्रविधान सबसे अधिक विवादोत्पद हैं, किन क्षेत्रों में झूठे या कमजोर केस बार-बार दर्ज हो रहे हैं और कहां जमानत तथा विचाराधीनता का असंतुलन सबसे अधिक है।पारदर्शिता दुरुपयोग को सीमित कर सकती है,क्योंकि कानूनों का दुरुपयोग अक्सर अपेक्षे में पनपता है। डाटा-आधारित निगरानी और जवाबदेही से प्रणालीगत दोषों की पहचान पहले ही संभव होती है।

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

गरीबी का दंश : विकास के दवों के बीच संघर्षरत जीवन



प्रीतम भि.गेंडाडम

राजनीतिक हस्तक्षेप और भाई-भतीजावाद दबाव बने रहता है। मिलावटखोरी,प्रदूषण,कांफ्रेंस्ट के बढ़ते जंगल और कटते वन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते है, इससे प्राकृतिक आपदाएं आती है, बीमारियां बढ़ती है,सैहत पर बुरा असर पड़ता है जिसकी सबसे बड़ी मार गरीब तबके को झेलनी पड़ती हैं। गरीब तबके को विविध सरकारी योजनाओं के बावजूद योग्य जीवनमान स्तर तक पहुंचने में बेहद मुश्किलें आती हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 अनुसार, देश में शीर्ष 10 फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत और 65 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति है,जबकि निचले तबके के 50 फीसदी जनसंख्या के पास केवल 15 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का हिस्सा हैं। शीर्ष 1 फीसदी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। विश्व आर्थिक मंच अनुसार, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2026 में भारत 145 देशों में से 131वें स्थान पर है। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस गरीबी मिटाने के

लिए जनजागृति हेतु पुरे विश्व में मनाया जाता हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस साल 2026 को सभी के लिए सुरक्षित घर यह थीम हैं। गरीबी में दो वक्त की रोजीरोटी के इंतजाम में लोगों का अधिकतम समय निकल जाता है,घर परिवार,बच्चों के लिए पर्याप्त समय भी नहीं निकाल पाते। उनमें सेहत,शिक्षा,भविष्य और लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी होती है। अधिकतर राजनीतिक दल भी चुनाव के वक्त गरीबों को याद करते है और उनसे किये गए बड़े-बड़े वादे समयनुसार भूल जाते हैं। गरीबी में जन्मा बच्चा अपनेआप को गरीबी की दलदल से निकालने के लिए असंख्य संघर्षों को सहता है, ताकि अपने साथ आनेवाली पीढ़ी को भी बेहतर जीवनस्तर मिल सकें,परंतु चंद लोगों के हिस्से ही यह कामयाबी आती है।

गरीबी के कारण पेट भर अनाज नहीं मिलता उसमें भी पोषक आहार नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, रहने की सही व पर्याप्त जगह नहीं होती,मौसम के बदलाव के हिसाब से भी जीवन जीना बेहद कष्टदायक होता हैं। अधिक समय तक पेटभर खाना और पोषक आहार,शुद्ध जल,शुद्ध ऑक्सीज़न शरीर को न मिलने के कारण कुपोषण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बनी रहती है। तो बीमार होने पर बेहतर इलाज, दवाइयों और हेल्थ इश्येस तक पहुंच न होने से भारत 145 देशों में से 131वें स्थान पर है। हर साल 17 अक्टूबर है और जीवन प्रत्याशा कम होती जाती हैं। घर की माली



हालत के कारण बहुत बार बच्चों को जल्द स्कूल छोड़ना पड़ता है और परिवार को आर्थिक मदद के लिए काम करना पड़ता हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति से हम अच्छे से वाकिफ है, थोड़ेसे चतुर्थ श्रेणी पद के लिए भी लाखों उच्च शिक्षित उम्मीदवारों के आवेदन मिलते हैं,जिसमें अभियंता,प्रबंधन, पीएचडी पदवी धारक तक बड़ी संख्या में होते हैं। आवेदन के लिए इन लाखों बेरोजगार युवा उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क के तौर पर करोड़ों रुपया सरकार के पास जमा होता हैं। उम्र निकल जाती है,लेकिन योग्यतानुसार रोजगार नहीं मिलता, योग्यतानुरूप रोजगार या नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल हैं। मनुष्य की शिक्षा और रोजगार ही उसे गरीबी से उबरने का मौका देती है,अगर कोई कड़ी मेहनत करके उच्च शिक्षा हासिल करता है और नौकरी या रोजगार के योग्यता रखते हुए भी वह रोजगार प्राप्ति से वंचित होता है तो उसके और उसके परिवार के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। नौकरी के लिए भ्रष्टाचार, पेपर लीक और राजनीतिक दबाव की खबरें भी अक्सर सुर्खियों में होती है,फिर ऐसे परिस्थिति में गरीबी की जंजीरों

को कैसे तोड़कर व्यक्ति बाहर निकलेगा? बढ़ती बेरोजगारी के कारण उच्च शिक्षित युवा भी जो काम मिले,वह करने को तैयार हो जाते है,कम शिक्षा वाले युवा के साथ कम आय वाला शारीरिक श्रम भी करते हैं। कौशल की कमी और संसाधनों के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है।

गरीबी में असुरक्षित आवास,भीड़-भाड़ वाली तंग गली,गंदी नालियां, झोपड़पट्टी, कचरा, अस्वच्छता और मच्छर-मक्खियों का प्रकोप,अनिष्टकृ बस्तियों में रहने या बेघर होने से पर्यावरण से जुड़े खतरों को भी सहना पड़ता हैं। ऐसे निकृष्ट दूषित वातावरण में बीमारी,नशाखोरी और अपराध गतिविधियों का बोलबाला होता हैं। ऐसे परिस्थिति में रहने के कारण मनुष्य की सोच-समझ पर गहरा आघात होता है,हमेशा पैसों की तंगी के बारे में विचार करना,अपनी इच्छा,आकांक्षाओं को मारकर अधिकतर कर्ज के बोझ तले हैं। उम्र निकल जाती है,सामाजिक बदनामी, पारिवारिक कलह,तनाव,बैचैनी शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी खराब करती हैं। गरीबों को अधिकतर सामाजिक, जातिवादी भेदभाव का शिकार होना पड़ता हैं। उनके हिस्से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका नहीं के बराबर होती हैं। जागरूकता की कमी और सामाजिक सुरक्षितता की कमी के कारण वे अपराध या शोषण का शिकार होने के खतरे में जीने को मजबूर होते हैं।

जिस देश में उन्नत स्वास्थ्य सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और योग्यतानुरूप काम मिलता है, जिसके

लिए कोई अलग से शुल्क वसूला नहीं जाता, बिना किसी भेदभाव के सबको समान मौके मिलते है,वह देश तर्की की राह पर होता हैं। अगर यह स्थिति हमारे भारत देश में हो तो गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि गरीबी से निपटने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा स्वास्थ्य, शिक्षा,रोजगार पर ही होता है। अगर यह तीनों सेवाएं उन्नत स्तर पर प्रत्येक को मुफ्त में मिलने लगे तो, हर व्यक्ति सक्षम, काबिल,जिम्मेदार और जीवनमान को बेहतर बनाने में कुशल होगा। फिर जनता को मुफ्त अनाज, बेघर होने से पर्यावरण से जुड़े खतरों को भी सहना पड़ता हैं। ऐसे निकृष्ट दूषित वातावरण में बीमारी,पानी देने की जरूरत नहीं बना पाती। देश में गरीबों को सामाजिक समस्याओं में प्रस्थापित करने हेतु उन्हें काबिल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वे खुद अपना विकास कर सकें। सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसकर स्वास्थ्य सुविधा,शिक्षा और रोजगार पर सर्वाधिक बजट रखना चाहिए। हर हाथ को कुशलता और योग्यतानुरूप काम मिलना चाहिए। बीमारी के इलाज में पैसों की कमी के कारण किसी भी गरीब की जान नहीं जानी चाहिए। सबको पोषक आहार, स्वच्छ जल और शुद्ध ऑक्सीजन मिलना चाहिए। देश में सक्षम नागरिक बनाने पर जोर देना चाहिए।

राजनीतिक सुधार का सार्थक कदम है लेट : कैप्टन

कैप्टन सरोज सैनिक,लखनऊ,उत्तर प्रदेश नेता पात्रता परीक्षा (लौडर एलिजबिलिटी टेस्ट-लेट) के संदर्भ में जो मुहिम सावन साहित्य सेवा सदन ट्रस्ट,कुशीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है,जिसके आयोजक डॉ. सुनील सावन;जो शिक्षक,समाजसेवी एवम् साहित्यकार हैं,वह मेरे विचार से भारत के अधिकांश शिक्षित बुद्धिजीवी जागरूक नागरिकों के मस्तिष्क की ही उजज है। डॉक्टर सुनील सावन जी इस मुहिम को देश के समुच्च परसेन का कार्य कर रहे हैं। इस मुहिम में किसी की भी व्यक्तिगत आलोचना या तिरस्कार नहीं है। किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा है। यह तो भारत के लोकतंत्र की सुचिता को बरकरार रखते हुए सुयोग्य नेताओं की चयन प्रक्रिया और उनके द्वारा नेतृत्व करके भारत के उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को मजबूत धरातले देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुहिम का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि सावन साहित्य सेवा सदन ट्रस्ट, कुशीनगर लंबे समय से साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से ग्रहित के विषयों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। आज जब देश के हर सरकारी पद के लिए योग्यता, परीक्षा और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि देश का नेतृत्व करने वालों के लिए भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी के लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं।

नहीं, लिंक एक पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। इस परीक्षा में भारतीय सविधान, लोक तान्त्रिक मूल्यों,राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और प्रशासनिक ज्ञान को परखा जा सकता है। साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राजनीति अपराधीकरण से मुक्त रहे।डॉक्टर सुनील सावन स्वयं एक शिक्षक, समाजसेवी और साहित्यकार हैं,इसलिए उनका चिंतन विरोध का नहीं,बल्कि निर्माण का है। वे चाहते हैं कि राजनीति में योग्यता का सम्मान हो और लोकतंत्र की आवाज और अधिक सशक्त बने।

जब नेता पात्रता परीक्षा (लेट), चरित्र प्रमाण पत्र और मतदान-इन तीनों का सही समन्वय होगा,तब वास्तविक लोकतान्त्रिक सुधार होगा। योग्य प्रत्याशी मैदान में होंगे और जागरूक मतदाता उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे। इससे जाति, धर्म और धनबल से ऊपर उठकर योग्यता और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि देश का नेतृत्व करने वालों के लिए भी एक न्यूनतम मानक क्यों न हो। नेता पात्रता परीक्षा का उद्देश्य किसी को रोकना

सुप्रीम कोर्ट के आदेशक न्यायिक फैसलों के उजाले

ललित गण्ट,पटपड़गंज,नई दिल्ली लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक प्रमाण केवल चुनावों का नियमित आयोजन,संसद में बहुमत अथवा राजनीतिक दलों की लोकप्रियता नहीं है,बल्कि यह है कि संविधान के सामने सत्ता, विपक्ष और सामान्य नागरिक की स्थिति समान हो। जब सामाजिक न्याय,आरक्षण,धार्मिक स्वतंत्रता और चुनावी निष्पक्षता जैसे प्रश्न एक साथ राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आते हैं,तब सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका वह संवैधानिक संस्था है,जिससे नागरिक यह अपेक्षा करता है कि वह राजनीतिक आग्रहों, सामाजिक दबावों और सत्ता के प्रभाव से मुक्त रहकर न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज आरक्षण की पात्रता और धर्मांतरण से जुड़े विवादों से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तथा न्यायालय की गरिमा तक, अनेक प्रश्न इसी अपेक्षा की कसौटी बनकर सामने हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय आवश्यक है कि हम न किसी राजनीतिक पक्ष के

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सम्मति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रसारित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अंभिकगुरु न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

प्रचारक बनें,न किसी धार्मिक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह रखें, बल्कि संविधान की भावना और न्याय के व्यापक उद्देश्य को केंद्र में रखें। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान की उन ऐतिहासिक व्यवस्थाओं में है, जिनका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार,अस्पृश्यता और भेदभाव के दुष्परिणामों को दूर करना है। यह केवल रोजगार अथवा शिक्षा में कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं,बल्कि उस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप है,जिसने बड़ी आबादी को लंबे समय तक समान अवसरों से वंचित रखा। इसलिए आरक्षण और धर्मांतरण के संबंध में होने वाली बहस को भावनाओं, धार्मिक आग्रहों अथवा राजनीतिक आरोपों के बजाय संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर समझना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण करने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देना और अपने राज्य में इस प्रकार की सुविधा जारी रखना कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ



मिलता रहे, वास्तव में सनातन संस्कृति के आरक्षित वर्गों के हितों को कमजोर करने वाला और धर्मांतरण को प्रोत्तेक्ष रूप से बढ़ावा देने वाला कदम था। यह विडंबना ही है कि एक तरफ कुछ सौदतन यह दावा करते हैं कि उनके यहां जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं है,वहीं दूसरी ओर वे एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने पंथ में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलने की पुर्जोर वकालत करते हैं। इस प्रकार के दोहरे लाभ और प्रलोभनों के कारण न केवल धर्मांतरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है,बल्कि हिंदू समाज को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि धर्मांतरित लोग आरक्षण के साथ-साथ अल्प संख्यक दर्जे के लाभों की अनुचित दोहन करने लगते हैं। हालांकि विभिन्न राज्य सरकारें छूट-कट्ट से होने वाले धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानून बना रही हैं, फिर भी यह समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका प्रमुख कारण धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हो रहा इसका दुरुपयोग है। अब समय आ गया है कि इस गंभीर

विषय पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठाएं ताकि इस दुरुपयोग को रोक जा सकें।

इसी व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर हस्तक्षेप भी उल्लेखनीय है। 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुररीक्षण (एसआईआर) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च किया,इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया भी सरहनीय है। भले ही विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं,मतदाताओं के नाम हटाए जाने और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, इन आरोपों की सत्यता की निर्धारण न्यायिक परीक्षण और संबंधित अभिलेखों के आधार पर होना चाहिए,लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं,बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने का संवैधानिक अवसर है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता किसी एक दल को नहीं,पूरे लोकतंत्र का प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना एक गलत परम्परा का सूत्रपात है।

15 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब माँगा। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि उसके प्रत्येक निर्णय को प्रश्नों से परे मान लिया जाए। इसी प्रकार, किसी निर्णय से असहमति अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करती कि आयोग ने अनुचित कार्य किया है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करना, निर्णय प्रक्रिया की वैधानिकता जाँचना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसी घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर के मार्च को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य संबंधित नेताओं से भी जवाब माँगा। न्यायालय की चिंता यह थी कि राजनीतिक प्रदर्शनों के माध्यम से न्यायविरुद्ध पर दबाव बनाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंग का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि शांतिपूर्ण विरोध, राजनीतिक असहमति और न्यायालय की गरिमा-तीनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। विपक्ष को सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन न्यायिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज,हरदो,मध्यप्रदेश युवाओं को भावनात्मक और पहचान की राजनीति का ईंधन बनाया जा रहा है...

भारत इस समय एक अभूतपूर्व वैचारिक और राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश की सत्ता और विपक्ष की खेचतान के बीच यदि कोई सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है,तो वह है आम नागरिक और देश का वह युवा, जिसके कंधे पर कल के भारत का भार है। सवाल अब केवल यह नहीं रह गया है कि सत्ता में कौन काबिज है या विपक्ष की भूमिका कितनी प्रभावी है,मूल प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र अपनी उस बुनियादी दिशा से भटक चुका है, जो इसे एक जीवंत,सशक्त और समावेशी लोकतंत्र बनाती है?

प्राथमिकताओं का भटकाव और गिरता राजनीतिक स्तर
किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की रीढ़ सबसे बुनियादी मुद्दे होते हैं,शिक्षा का स्तर,स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार के अवसर,वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक स्थिरता। परंतु,मौजूदा राजनीतिक विमर्श को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन जीवन-मरण से जुड़े प्रश्नों को जानबूझकर हाथिए पर धकेल दिया गया है। सार्वजनिक विमर्श का स्तर जिस तेजी से नीचे गिरा है,वह गंभीर चिंता का विषय है। ज़मिंदार पदों पर बैठे व्यक्तियों और सार्वजनिक मंचों से बहती बेलागम,असभ्य और अमर्यादित भाषा केवल शब्दों की मर्यादा नहीं तोड़ती,बल्कि वह पूरे समाज के नैतिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करती है। जब तकों की जगह उतेजना और गाली-गलौज ले ले,तो यह संकेत है कि राजनीति विवेकीयता के अंधे मोड़ पर पहुँच चुकी है। युवाओं की निराशा और व्यवस्था से सवाल,देश की कुल आबादी में युवाओं की संख्या का ढिंढोरा तो पीटा जाता है, परंतु नीतिगत स्तर पर उन्हें क्या मिल रहा है? आज का युवा छिड़ी हाथ में लिए अवसरों की तलाश में भटक रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धंधली,नियुक्तियों में देरी और नौकरियों की कमी ने नई पीढ़ी के भीतर एक गहरी निराशा भर दी है।विडंबना यह है कि युवाओं की इस असीम ऊर्जा,उनकी तार्किक सोच और नया रचने की क्षमता का उपयोग देश निर्माण में करने के बजाय, उन्हें

भावनात्मक और पहचान की राजनीति का ईंधन बनाया जा रहा है। युवा मन स्वभाव से प्रश्न पूछने वाला होता है,लेकिन जब सवालों के बदले दबावों की नीतियाँ और नपुंसक का माहौल परेशा जाए,तो यह देश के उज्ज्वल भविष्य पर सीधा प्रहर है। आज के युवा को भावनात्मक भटकाव नहीं,बल्कि एक स्थिर, पारदर्शी और अवसरों से भर वातावरण चाहिए।

संवैधानिक संस्थाएँ,

भ्रष्टाचार और मौन की संस्कृति,

संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है,यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की गारंटी है। आज आमजन के मन में यह आशंका गहरा रही है कि क्या संवैधानिक शक्तियों का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता पर अंकुश लगाया जा रहा है?इसके साथ ही,भ्रष्टाचार का स्वरूप अब अधिक सूक्ष्म और संगठित हो गया है। आर्थिक हितों के आवरण में जब निर्णय लिए जाते हैं,तो पारदर्शिता दम तोड़ने लगती है। सबसे दुःखद स्थिति यह है कि असहमति जताने वाली या सच बोलने वाली आवाजों पर अदृश्य पहरे लगा दिए गए हैं। सच बोलना मानो एक राजनीतिक जोखिम बन गया है। ऐसी स्थिति न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटती है, बल्कि समाज में एक अरहज सन्नदा और भय पैदा करती है। देश किसी राजनीतिक दल, नेता या क्षणिक विचारों से हमेशा बड़ा होता है। राजनीति का अहित उद्देश्य समाज का कल्याण और देश की अस्मिता की रक्षा होना चाहिए, न कि उस अशांति और ध्रुवीकरण की आग में झोंकना। समय आ गया है कि सत्ता और विपक्ष,दोनों ही पक्ष आत्ममंथन करें। लोकतंत्र केवल बहुमत का गणित नहीं,बल्कि असहमति का सम्मान और कानून का शासन है। देश की अस्मिता को सही दिशा देने का दायित्व अब सरकार,नागरिकों और युवाओं पर है। जब तक देश का युवा अपने वास्तविक मुद्दों,शिक्षा,रोजगार,न्याय और अधिकार,पर एकजुट होकर सवाल नहीं पूछेगा,तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बेमानी होगी। इतिहास गवाह है कि जब-जब लोकतंत्र पर संकट छाया है, देश की चेतना ने ही उसे सही राह दिखाई है।



सालों से खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं नाथल दाई, अब मंदिर निर्माण की तैयारी



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शहर से लगे रनपुर गांव में सालों से खुले आसमान के नीचे विराजमान नाथल दाई के स्थल पर अब मंदिर निर्माण की तैयारी है। इसके लिए सरकार की ओर से पांच लाख रुपए स्वीकृत की गई है। वहीं, मंदिर निर्माण की पहल के साथ पास स्थित मजार को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। रनपुर स्थित नाथल दाई का स्थल स्थानीय लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां माता की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे विराजमान है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होती है। इस स्थल पर बलि देने की परंपरा भी प्रचलित बताई जाती है। इस वर्ष पहली बार नवरात्रि के नौ दिनों तक यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई। खास बात यह है कि नाथल दाई का स्थल पास स्थित एक मजार से लगा हुआ है। इसी वजह से रनपुर को सद्गवना गांव के रूप में भी जाना जाता है।

मंदिर निर्माण के लिए पांच लाख रुपए स्वीकृत

नाथल दाई स्थल पर मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पांच लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी है। भूमिपूजन के बाद नाथल दाई कांरिखेर विकसित करने की योजना की भी चर्चा है।

जिले के शासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन नीट एवं जेईई कोचिंग शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन आज

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के तथ में होने शामिल

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जिला खनिज संस्थान न्यास सरगुजा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइव ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से NEET/JEE प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर ए-हेल्प पशु सखी प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुभारंभ समारोह 17 अक्टूबर को प्रातः 11:00 बजे जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज करेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिश्र, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोयो, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, अम्बिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, नगर निगम अम्बिकापुर के सभापति श्री हरिमंदर सिंह टिन्नी तथा जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष श्री देवनाराय यादव उपस्थित रहेंगे।

नेशनल हाईवे-130 पर चोरों के हौसले बुलंद! खड़े ट्रक से 300 लीटर डीजल पार, पुलिस की गश्त पर उठे सवाल



—संवाददाता—

लखनपुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं कि अब नेशनल हाईवे-130 पर खड़े भारी वाहनों की भी निशाना बनाया जा रहा है। लखनपुर चौपाटी के पास खड़े एक 16 चक्का ट्रक से करीब 300 लीटर डीजल चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि वारदात सुबह करीब 4 बजे की है, जिसमें कार सवार अज्ञात लोगों पर डीजल चोरी करने का आरोप है। नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर खड़े ट्रक से इतनी बड़ी मात्रा में डीजल चोरी होने की घटना ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। यदि हाईवे किनारे खड़े भारी वाहन ही सुरक्षित नहीं हैं, तो रात के समय वाहन चालकों और परिवहन कारोबारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? स्थानीय स्तर पर लगातार ट्रकों से डीजल चोरी होने की शिकायतों के बीच पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर चोर बेखोफ होकर वारदात को अंजाम कैसे दे रहे हैं? क्या हाईवे और चौपाटी के आसपास नियमित गश्त हो रही है, या चोर पुलिस की निगरानी से बचकर आसानी से निकल जा रहे हैं? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

खाना बनाते समय झूलसी महिला की मौत

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिला के थाना भगवांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसकेला जुनापारा में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय महिला आग की चपेट में आ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत मिशन अस्पताल में हो गई। जानकारी के अनुसार वंदना देवांगन पति सुरेंद्र कुमार उम्र 36 वर्ष 15 अक्टूबर की दोपहर करीब 2.30 बजे पति-पत्नी घर में थे। वंदना रसोई में खाना बना रही थी, जबकि उसका पति घर के बाहर रोड तरफ था। अंदर से पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दौड़ते रसोई में गया तो देखा पत्नी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। उसे बुझाकर इलाज के लिए होलीक्रॉस अस्पताल अम्बिकापुर ले गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



करमा देखने निकले थे,रास्ते में मौत ने घेरा,तीन युवकों की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से दो ने मौके पर तोड़ा दम

सड़क हादसों में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से दो ने मौके पर तोड़ा दम

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा और सूरजपुर जिले में गुरुवार रात हुए सड़क हादसों में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गई। सूरजपुर जिले के तारा चौकी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों उदयपुर के डांडगांव में दसईं करमा देखने जा रहे थे। वहीं, उदयपुर थाना क्षेत्र में करमा देखने पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, सूरजपुर जिले के तारा चौकी क्षेत्र के ग्राम घटबरी निवासी सजन राम (24) और मुन्ना राम (21) पिता हरिलाल गुरुवार रात बाइक से डांडगांव में दसईं करमा देखने जा रहे थे। रात करीब 8 बजे एनएच-130 पर साल्ही और जनार्दनपुर के बीच जंगल में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस



ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए प्रेमनगर अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परीजनों को सौंप दिए गए। हादसे में दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थीं।

पैसों के लेन-देन से लेकर आय,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र संबंधी ऑनलाइन कार्य हुए आसान



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और नागरिकों को उनके गांव में ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगांव में संचालित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से ग्रामीणों को बैंकिंग लेन-देन के साथ विभिन्न शासकीय सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन कार्यों की सुविधा मिल रही है। इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर जाने की आवश्यकता कम हुई है और उनके समय एवं आवागमन खर्च की बचत हो रही है। ग्राम

पंचायत बरगांव निवासी श्री राम ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत किए गए कार्य की मजदूरी राशि का आहरण किया। उन्होंने बताया कि गांव में ही पैसे निकालने की सुविधा मिलने से काफी सहूलियत हुई है। अब बैंकिंग संबंधी सामान्य कार्यों के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री राम ने बताया कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में पैसों के लेन-देन के साथ आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित ऑनलाइन कार्यों की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे ग्रामीणों को विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है।

सड़क पर घायल पड़ा था छोटा भाई

दूसरा हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डांडगांव मुख्य मार्ग पर प्रिंस हौटल के पास हुआ। ग्राम दावा निवासी प्रदीप अगरिया (18) अपने दोस्तों आदित्य और दिव्यांशु के साथ पैदल दसईं करमा देखने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान पीछे से बाइक पर अपने साले बलेंदर और दोस्त गोलू के साथ करमा देखने जा रहे प्रदीप के बड़े भाई सतीश की नजर सड़क पर लगी भीड़ पर पड़ी। वह बाइक रोककर पास पहुंचा तो उसका छोटा भाई घायल अवस्था में पड़ा था।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत

घायल-112 की टीम की मदद से सतीश घायल प्रदीप को उदयपुर अस्पताल ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे से परिजनों में शोक है।

भीतर की शक्तियों को जागृत कर बेहतर जीवन जीने का करें प्रयास : टीएस सिंहदेव

ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में चैतन्य देवियों की झांकी के पांचवें दिन उमड़े श्रद्धालु



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चोपड़ापारा स्थित सेवा केंद्र में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित चैतन्य देवियों की भव्य झांकी के पांचवें दिन दीप प्रज्वलन और आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिंहदेव ने कहा कि बेहतर जीवन जीने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित

करना चाहिए। सेवा केंद्र में आकर शांति और सूकून का अनुभव होता है। उन्होंने ब्रह्माकुमारी संस्था की ओर से वैश्विक स्तर पर वैचारिक शुद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और सभी से इस संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दीं।

ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी विद्या दीदी ने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे पांच विकारों पर विजय प्राप्त कर जीवन को श्रेष्ठ

बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लतन प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कौशल शर्मा, प्राचार्या तुलसी सिंह और पेंशनर समाज के अध्यक्ष हरिशंकर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर रेखा बहन और उनके समूह ने सुंदर गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी। चैतन्य देवियों की झांकी के दर्शन के लिए शहरवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं।



पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधायक भगत से मुलाकात कर ली स्वास्थ्य की जानकारी,शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत से संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि श्रीमती भगत जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने परिवार, शुभचिंतकों और क्षेत्र की जनता के बीच लौटें तथा पूर्व की भांति जनसेवा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। पर्यटन मंत्री अग्रवाल ने कहा कि विधायक



श्रीमती रायमुनि भगत जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जशपुर क्षेत्र की जनता के प्रति उनके समर्पण और सक्रियता का उल्लेख करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद से श्रीमती भगत को उतम स्वास्थ्य, नई ऊर्जा एवं दीर्घायु प्राप्त हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

पैरेंट्स मीटिंग से लौट रही छात्रा की ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबकर मौत

पिता के साथ बाइक से जा रही थीं 13 वर्षीय रिद्धिमा, हादसे के बाद मकान में जा घुसा ट्रैक्टर

—संवाददाता—

विश्रामपुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर ग्राम पंचायत केशवनगर के बड़कापारा में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्रा ट्रैक्टर जैन की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ विश्रामपुर के कामेल कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित पैरेंट्स मीटिंग में शामिल होकर बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान गिट्टी लोड ट्रैक्टर की टक्कर से पिता-पुत्री सड़क पर गिर गए। रिद्धिमा का सिर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में पिता को भी हल्की चोट आई है। घटना से परिवार और स्कूल में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सूरजपुर नवापारा निवासी एलआईसी एजेंट पंकज कुमार जैन



की पुत्री रिद्धिमा शुक्रवार सुबह उनके साथ बाइक क्रमांक सीजी 15 सीसी 0655 से कामेल कॉन्वेंट स्कूल पहुंची थी। दोपहर करीब 12 बजे पैरेंट्स मीटिंग समाप्त होने के बाद दोनों बाइक से सूरजपुर लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर केशवनगर के बड़कापारा के पास गिट्टी लोड ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 15 सीक्यू

5992 को क्रॉस करते समय चालक ने अचानक वाहन मोड़ दिया। इससे बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई और पिता-पुत्री सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान रिद्धिमा का सिर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर सड़क किनारे स्थित एक मकान में जा घुसा।

पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए समय-सारणी जारी, 729 अभ्यर्थियों को किया गया आमंत्रित

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरी गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत शोध उपाधि में प्रवेश हेतु साक्षात्कार की विषयवार समय-सारणी जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 18 सितंबर 2026 को कुल 25 विषयों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त, नेट/सेट/गेट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों की विषयवार सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई



है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण तथा

नेट/सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सहित कुल 729 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएच.डी. कार्यक्रम

में प्रवेश हेतु सभी विषयों को मिलाकर सीटों की संभावित संख्या 448 निर्धारित की गई है। हालांकि, विषयवार वास्तविक प्रवेश उपलब्ध सीटों, निर्धारित पात्रता एवं अनुसूचित जातियों के अनुपात के अनुसार, साक्षात्कार का आयोजन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक निर्धारित किया जाएगा। जारी समय-सारणी के अनुसार, साक्षात्कार का आयोजन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक निर्धारित किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, न्यू नगर निगम भवन के समीप, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) में होगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हों तथा अपने समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों और

उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित रहें। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी शोध रुचि के अनुरूप एक संभावित विषय-प्रस्ताव तैयार करके साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की शोध अभिरुचि, विषय संबंधी समझ, शोध की संभावनाओं तथा प्रस्तावित शोध कार्य की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए निर्देशित किया है कि वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sggvscg.ac.in पर उपलब्ध विषयवार साक्षात्कार समय-सारणी एवं संबंधित निर्देशों का अवलोकन करें।

ढाई माह वेतन नहीं, धरने के बाद भुगतान!

शिवपुर-चरचा नगर पालिका में दैनिक वेतनभोगियों का प्रदर्शन



लालमुनि यादव और अजीत लकड़ा ने दिया समर्थन

धरने के बाद वेतन, पर सवाल बरकरार ! ढाई माह से परेशान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिली राहत,अब देरी की वजह बताने की बारी नगर पालिका प्रशासन की !
धरने पर बैठे कर्मचारी,तब जागी पालिका ! ढाई माह के वेतन संकट के बाद हुआ भुगतान

वेतन के लिए धरना,समर्थन में उतरे पूर्व अध्यक्ष,शिवपुर-चरचा पालिका से जवाब मांगते सवाल

कर्मचारियों को वेतन के लिए करना पड़ा इंतजार,धरने के बाद मिली राहत, जवाबदेही किसकी?

लालमुनि यादव वनी कर्मचारियों की आवाज,धरने के बाद वेतन भुगतान, पालिका की व्यवस्था कटघरे में

कर्मचारियों के हक की लड़ाई या शिक्षासी सक्रियता? वेतन भुगतान के घटनाक्रम ने खड़े किए सवाल

मेहनताने के लिए धरना क्यों? शिवपुर-चरचा पालिका में वेतन संकट के बाद जवाबदेही पर सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया/शिवपुर-चरचा, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को करीब ढाई माह तक वेतन नहीं मिलने के बाद आक्रामक मामला धरना-प्रदर्शन तक पहुंच गया,जोहारों के बीच वेतन के इंतजार में बैठे कर्मचारियों ने जब अपना विरोध दर्ज कराया,तब यह समस्या केवल कर्मचारियों की आर्थिक परेशानी तक सीमित नहीं रही,बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली,प्रशासनिक जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे,कर्मचारियों के आंदोलन के बीच पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव समर्थन देने पहुंचे,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने भी धरनारत कर्मचारियों के पक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के साथ बैठक किए जाने की बात सामने आई, इसके बाद कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी सामने आई और आंदोलन का प्रमुख मुद्दा फिलहाल शांत होता दिखाई दिया, लेकिन भुगतान हो जाने भर से पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता,सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन कर्मचारियों से नगर पालिका की रोजमर्रा की व्यवस्था चलती है,उन्हें अपने ही मेहनताने के लिए धरना देने की नौबत क्यों आई? क्या वेतन भुगतान की समस्या पहले से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में नहीं थी? यदि

ढाई माह तक इंतजार,फिर धरना...

कर्मचारियों की परेशानी कौन समझेगा?

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन केवल महीने के अंत में मिलने वाली रकम नहीं, बल्कि परिवार के खर्च,बच्चों की पढ़ाई,राशन,बिजली बिल,दवाइयों और अन्य जरूरी जरूरतों का आधार होता है,नियमित वेतन नहीं मिलने का असर सीधे उनके घरेलू बजट पर पड़ता है,ऐसे में करीब ढाई माह तक भुगतान लंबित रहने की स्थिति कर्मचारियों के लिए गंभीर आर्थिक परेशानी पैदा कर सकती है,नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी सफाई,कार्यालयीन व्यवस्था और दूसरे दैनिक कार्यों में योगदान देते हैं, शहर की व्यवस्था सुचारु रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है,इसके बावजूद यदि उन्हें समय पर मेहनताने का भुगतान नहीं होता,तो यह स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, शिवपुर-चरचा में कर्मचारियों का विरोध इसी परेशानी के बीच सामने आया, कर्मचारियों ने धरना देकर अपना पक्ष रखा और लंबित वेतन के भुगतान की मांग उठाई, मामले ने तब अधिक ध्यान खींचा,जब कर्मचारियों की मांग के समर्थन में पूर्व जनप्रतिनिधि भी सामने आए, अब सवाल यह है कि क्या नगर पालिका प्रशासन कर्मचारियों की परेशानी को पहले से समझकर भुगतान की व्यवस्था नहीं कर सकता था? अगर किसी कारण से वेतन देना संभव नहीं था,तो क्या कर्मचारियों को समय रहते स्थिति स्पष्ट की गई थी? इन सवालों का जवाब नगर पालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से सामने आना चाहिए।

समस्या की जानकारी थी,तो समय रहते उसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? और यदि कोई वित्तीय या प्रशासनिक बाधा थी, तो कर्मचारियों को उसकी स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई? वेतन का भुगतान राहत जरूर है, लेकिन ढाई महीने की देरी का जवाब अब भी जरूरी है।

लालमुनि यादव ने दिया समर्थन,

कर्मचारियों के मुद्दे पर बड़ी चर्चा- धरना-

प्रदर्शन के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष

लालमुनि यादव कर्मचारियों को समर्थन देने

पहुंचे, कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या को

लेकर उनकी मौजूदगी ने घटनाक्रम को

राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना दिया,

कर्मचारियों के अधिकारों और समय पर वेतन

भुगतान की मांग का समर्थन करना एक

जनप्रतिनिधि की सार्वजनिक भूमिका का हिस्सा

हो सकता है, किसी कर्मचारी को मेहनताने के

लिए परेशान होना पड़े, तो उस समस्या को

सामने लाना और समाधान की मांग करना

स्वाभाविक है,लेकिन इस घटनाक्रम ने एक

दूसरा सवाल भी खड़ा किया है की क्या

कर्मचारियों की समस्याओं पर ऐसी सक्रियता

तब भी दिखाई देती है,जब मामला धरना-

प्रदर्शन तक नहीं पहुंचा होता? लालमुनि यादव

का कर्मचारियों के बीच पहुंचना अपने आप में

घटनाक्रम का हिस्सा है। इसे लेकर राजनीतिक

लाभ या किसी विशेष मंशा का निष्कर्ष

निकालने के लिए पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं,

हालांकि चुनावी गतिविधियों के बीच किसी पूर्व

जनप्रतिनिधि की सक्रियता को लेकर

राजनीतिक चर्चाएं होना स्वाभाविक है,फिर भी

कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांग को केवल

राजनीति के चरम से देखना उचित नहीं होगा।

मूल प्रश्न यह है कि कर्मचारियों को उनका

मेहनताना समय पर मिले और भविष्य में ऐसी

स्थिति दोबारा पैदा न हो।

अजीत लकड़ा भी पहुंचे धरनास्थल,

समर्थन के बीच उठे सवाल-आंदोलन के

दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा

भी धरनास्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की

मांग को समर्थन दिया,इस तरह कर्मचारियों के

मुद्दे पर पूर्व जनप्रतिनिधियों की सक्रियता चर्चा

में रही,कर्मचारियों के साथ खड़े होने वाले

जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रहती है कि वे

संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था से जवाब मांगें

और समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में

पहल करें,केवल समर्थन जताना ही पर्याप्त नहीं

है,यह भी जरूरी है कि कर्मचारियों को भविष्य

में नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए

क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस पर ठोस

चर्चा हो,इस पूरे प्रकरण में यह स्पष्ट होना

चाहिए कि वेतन भुगतान में देरी का कारण क्या

था, क्या नगर पालिका के पास पर्याप्त राजस्व

उपलब्ध नहीं था? क्या भुगतान प्रक्रिया में

प्रशासनिक देरी हुई? क्या बजट या किसी अन्य

मद्द से जुड़ी बाधा थी? इन प्रश्नों का उत्तर

उपलब्ध रिकॉर्ड और नगर पालिका प्रशासन के

स्पष्टीकरण से ही मिल सकेगा,बिना आधिकारिक जानकारी के वेतन में देरी का कारण किसी एक अधिकारी,जनप्रतिनिधि या वित्तीय व्यवस्था को ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि समस्या के कारणों को अस्पष्ट छोड़कर मामला केवल भुगतान के साथ समाप्त न कर दिया जाए।

वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की

बैठक भी चर्चा में-कर्मचारियों के धरने के

बीच वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के साथ बैठक किए

जाने की बात भी सामने आई,इस दौरान

कर्मचारियों की ओर से समर्थन में नारे लगाए

जाने की जानकारी मिली है,बैठक का उद्देश्य

कर्मचारियों की मांग सुनना और वेतन संबंधी

समस्या पर चर्चा करना रहा होगा,लेकिन इसकी

वास्तविक कार्यवाही और उसमें लिए गए

निर्णयों का स्पष्ट विवरण सामने आना जरूरी

है,यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भुगतान किस

प्रक्रिया के तहत हुआ, बकाया राशि कितनी थी

और भविष्य में वेतन भुगतान समय पर करने

के लिए क्या व्यवस्था तय की गई, यदि भुगतान

धरना शुरू होने के बाद किया गया, तो क्रमवार

घटनाक्रम से यह सवाल जरूर उठता है कि

समस्या के समाधान के लिए आंदोलन का

इंतजार क्यों करना पड़ा, हालांकि केवल इस

क्रम के आधार पर यह कहना कि भुगतान किसी

विशेष व्यक्ति के दबाव में ही हुआ,तब तक

उचित नहीं होगा जब तक इसकी पुष्टि संबंधित

रिकॉर्ड या पक्षों के बयान से न हो, फिर भी

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जवाबदेही का

सवाल अपनी जगह कायम है,कर्मचारियों को

वेतन देने की जिम्मेदारी नगर पालिका की

नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, इसे

आंदोलन के बाद होने वाली कार्रवाई तक

सीमित नहीं रहना चाहिए।

वेतन भुगतान हुआ, लेकिन स्थायी

समाधान कहा है?- कर्मचारियों को भुगतान

हो जाने की जानकारी से तत्काल राहत की

स्थिति बनी है, लेकिन इस घटनाक्रम से निकला

सबसे महत्वपूर्ण सवाल भविष्य की व्यवस्था

का है, क्या नगर पालिका अब यह सुनिश्चित

करेगी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हर

महीने समय पर भुगतान हो? क्या भुगतान में

संभावित देरी के कारणों का आकलन किया

जाएगा? और क्या संबंधित कर्मचारियों को

भुगतान की स्थिति के बारे में समय रहते सूचित

किया जाएगा? इन सवालों का जवाब देना

इसलिए जरूरी है,क्योंकि किसी समस्या का समाधान केवल उस समय बकाया राशि चुका देने से पूरा नहीं होता,यदि वेतन भुगतान की प्रक्रिया में कोई व्यवस्थित कमी है,तो उसे दूर करना भी आवश्यक है,नगर पालिका प्रशासन को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति, बकाया अवधि,भुगतान की तारीख और देरी के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए,इससे कर्मचारियों को भरोसा मिलेगा और नागरिकों के सामने भी प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होगी,यदि समस्या वित्तीय संसाधनों से संबंधित थी,तो उसके लिए राजस्व और भुगतान की योजना पर जानकारी दी जानी चाहिए,यदि मामला प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का था,तो संबंधित प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की जरूरत होगी, फिलहाल इन संभावनाओं में से किसी एक को निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता,लेकिन वास्तविक कारण की पहचान किए बिना भविष्य में ऐसी स्थिति से बचना कठिन होगा।

कर्मचारियों की मांग को राजनीतिक

खींचतान तक सीमित न किया जाए-

शिवपुर-चरचा में वेतन भुगतान का घटनाक्रम

ऐसे समय सामने आया है, जब नगर पालिका

चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी

तेज हो रही हैं,ऐसे माहौल में पूर्व जनप्रतिनिधियों

की सक्रियता और वर्तमान नेतृत्व की भूमिका

स्वाभाविक रूप से चर्चा में आती है,लेकिन इस

पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दैनिक

वेतनभोगी कर्मचारी हैं,उनका मुद्दा किसी

राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन-विरोध से

बड़ा है,वेतन कर्मचारियों की मेहनत का भुगतान

है और उसे समय पर प्राप्त करना उनकी आर्थिक

सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, यदि कोई पूर्व

जनप्रतिनिधि कर्मचारियों के पक्ष में आवाज

उठाता है,तो उसकी भूमिका को तथ्यों के आधार

पर देखा जाना चाहिए,इसी प्रकार वर्तमान नेतृत्व

से भी अपेक्षा है कि वह केवल बैठक करके या

भुगतान की जानकारी देकर न रुके,बल्कि

समस्या की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस

कदम उठाए, यह भी जरूरी है कि कर्मचारियों

की मांग को लेकर कोई भ्रम न रहे। कितने

कर्मचारियों का वेतन लंबित था,कितने महीने

का भुगतान बकाया था, सभी को पूरा भुगतान

हुआ या किसी का भुगतान शेष है, इन तथ्यों की

आधिकारिक पुष्टि से ही पूरे मामले की

वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी।

अब नगर पालिका को देना चाहिए इन

सवालों का जवाब- शिवपुर-चरचा में वेतन

भुगतान के घटनाक्रम के बाद नगर पालिका प्रशासन के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कर्मचारियों को करीब ढाई माह तक वेतन क्यों नहीं मिला? देरी के लिए कौन-सी प्रशासनिक या वित्तीय बाधा जिम्मेदार थी? भुगतान की तारीख क्या रही और क्या सभी प्रभावित कर्मचारियों को पूरी बकाया राशि मिल गई? भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? इन प्रश्नों के जवाब सामने आने से कर्मचारियों और नागरिकों के बीच स्थिति स्पष्ट होगी,इससे यह भी पता चल सकेगा कि समस्या अस्थायी थी या भुगतान व्यवस्था में ऐसी कोई कमी है जिसे सुधारने की आवश्यकता है,नगर पालिका का दायित्व केवल सड़क,नाली,सफाई और दूसरी नागरिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है,निकाय में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और उनके भुगतान की व्यवस्था भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भुगतान से राहत, जवाबदेही का सवाल

बाकी- शिवपुर-चरचा नगर पालिका में दैनिक

वेतनभोगी कर्मचारियों का धरना फिलहाल वेतन

भुगतान की जानकारी आने के बाद शांत होता

दिखाई दे रहा है,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष

लालमुनि यादव और अजीत लकड़ा का समर्थन,

वर्तमान अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की बैठक और उसके

बाद भुगतान की चर्चा इस पूरे घटनाक्रम के

प्रमुख पहलु हैं,लेकिन असली सवाल अब भी

बना हुआ है, कर्मचारियों को अपने मेहनताने के

लिए आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्या उनकी

परेशानी को पहले ही समझकर समाधान किया जा

सकता था? और क्या भविष्य में वेतन भुगतान के

लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे कर्मचारी

दोबारा इसी स्थिति में न पहुंचें? धरने के बाद

वेतन मिलना कर्मचारियों के लिए राहत है, लेकिन

समय पर वेतन देना नगर पालिका की नियमित

जिम्मेदारी है,यदि इस घटनाक्रम से प्रशासन ने

सबक लिया और भुगतान व्यवस्था को समयबद्ध

बनाया, तभी इस विवाद का स्थायी समाधान माना

जा सकेगा,अन्यथा आज का धरना समाप्त होने के

बाद भी नियमित भुगतान और जवाबदेही का

सवाल बना रहेगा,अब निगाह नगर पालिका

प्रशासन के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर है कि

वेतन भुगतान में देरी क्यों हुई,भुगतान की स्थिति

क्या है और भविष्य में ऐसी समस्या रोकने के

लिए क्या कदम उठाए जाएंगे,यही जानकारी इस

पूरे घटनाक्रम की वास्तविक जवाबदेही तय करने

में महत्वपूर्ण होगी।

सुव्यवस्थित और गरिमामय होगा सूरजपुर का दशहरा उत्सव,तैयारियों को लेकर सेवा समिति की बैठक कलेक्टर रेना जमील की उपस्थिति में रूट निर्धारण,यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन

-संवाददाता-

सूरजपुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

दशहरा पर्व को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और दशहरा सेवा समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं,इसी क्रम में शुक्रवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर रेना जमील की उपस्थिति में दशहरा सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई,बैठक में उत्सव के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों की रूपरेखा

पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में दशहरा उत्सव के दौरान रूट निर्धारण,यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई,आयोजन के दौरान भीड़ और यातायात के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो,इसके लिए व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया,प्रशासन और समिति का उद्देश्य उत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है,ताकि लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व में सहभागी बन सकें।

परंपरा और गरिमा के साथ आयोजन की तैयारी- दशहरा पर्व धार्मिक आस्था,परंपरा

और सामाजिक समरसता का प्रतीक है,सूरजपुर में इस आयोजन को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत किए,चर्चा के दौरान आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने और संबंधित पक्षों के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया,रूट निर्धारण और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने की बात सामने आई, ताकि उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम नागरिकों को भी आवागमन में परेशानी न हो,सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने तथा आयोजन की परंपरा और गरिमा बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

प्रशासन और सेवा समिति के बीच समन्वय पर जोर-बैठक में दशहरा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री भीमसेन अग्रवाल,सचिव रामकृष्ण ओझा,उपाध्यक्ष श्री मुकेश गर्ग,श्रवण जैन सहित समिति के अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे,प्रशासन और सेवा समिति के बीच समन्वय के साथ की जा रही तैयारियां दशहरा उत्सव को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा,सुरक्षा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए पर्व की परंपरा एवं गरिमा बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।





मौत के बाद केसीसी ऋण का आरोप, अब शिकायतकर्ता पर समझौते का दबाव!

पहले मृतक के नाम पर ऋण, अब शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर कराने का दबाव?...64,512 के बकाये पर बड़ा सवाल: ऋण किसने लिया, राशि किसने खाई?

सोनपुर समिति पर गंभीर सवाल, शिकायतकर्ता को बैंक ले जाकर समझौते का दबाव बनाने का आरोप

ऋण की जांच से पहले राशि जमा कराने की कयायद? शिकायतकर्ता ने लगाए दबाव के आरोप

मौत के बाद ऋण की एंटी-शिकायत के बाद समझौते की चर्चा-सोनपुर समिति में क्या है पूरा मामला?

सहकारिता में जवाबदेही कहाँ? मृतक के नाम पर कथित ऋण और शिकायत वापसी के आरोप

किसने लिया मृतक के नाम पर ऋण? अब शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर पर क्यों जोर?

बैंक ले जाकर जमा पर्वी पर हस्ताक्षर कराने और शिकायत वापस लेने को कहा 1.29 लाख के कथित ऋण से? 64,512 की वसूली तक उलझा मामला

आखिर ऋण किसने लिया, राशि किसने निकाली और अब उसे जमा कराने की पहल किसके हित में?

शिकायत के बाद कथित दबाव के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी
-ऑकर पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भैयाथान से जुड़ी समितियों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, ताजा मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर से संबंधित है, जहाँ शिकायतकर्ता देवी प्रसाद ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण स्वीकृत किया गया, शिकायतकर्ता का दावा है कि पिता की मृत्यु के बाद कथित तौर पर ऋण की राशि आखिर की गई और बाद में बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी हुआ, अब जब इस मामले को लेकर शिकायत की गई, तो शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ लोग उनके घर पहुंचे और आर्थिक प्रलोभन देकर शिकायत वापस लेने के

लिए दबाव बनाने लगे।

शिकायतकर्ता ने जीवतेश श्रीवास्तव, जवाहरलाल कुशवाहा और विवेक कुमार चौरसिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे कहा कि वे भैयाथान बैंक शाखा में चलें, वहाँ राशि जमा करा दी जाएगी, लेकिन उन्हें जमा पर्वी पर हस्ताक्षर करके शिकायत वापस लेनी होगी, शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उन्हें दबाव बनाकर बैंक शाखा तक ले जाया गया, यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो मामला केवल कथित ऋण अनियमितता का नहीं रहेगा, बल्कि शिकायतकर्ता की स्वतंत्र सहमति, शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया और बैंक के रिकॉर्ड में संभावित लेन-देन की भूमिका की जांच भी जरूरी होगी, हालाँकि, अभी तक उपलब्ध सामग्री से यह स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है कि कथित राशि जमा हुई, शिकायतकर्ता ने जमा पर्वी पर हस्ताक्षर किए या संबंधित व्यक्तियों ने वास्तव में दबाव बनाया, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सभी संबंधित पक्षों का जवाब आवश्यक है।

मृत्यु के बाद ऋण स्वीकृति का आरोप: तारीखें सही हैं तो सवाल गंभीर

शिकायत में दर्ज विवरण के अनुसार, मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर, पंजीयन क्रमांक 580 से संबंधित है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पिता हरिप्रसाद के नाम पर 1 जून 2021 को 75 हजार रुपये और 11 जून 2021 को 54 हजार रुपये का केसीसी ऋण स्वीकृत किया गया, इस प्रकार कुल कथित ऋण राशि 1 लाख 29 हजार रुपये बढ़ गई है, शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पिता की मृत्यु 10 मई 2021 को हो चुकी थी, यदि मृत्यु प्रमाणपत्र, ऋण स्वीकृति के मूल अभिलेख और बैंक के भुगतान रिकॉर्ड इन तारीखों की पुष्टि करते हैं, तो यह गंभीर जांच का विषय होगा कि मृत्यु के बाद ऋण आवेदन किसने प्रस्तुत किया, किसने सत्यापन किया, किस अधिकारी या कर्मचारी ने स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की और राशि आखिर किस खाते में पहुंची, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऋण की राशि किसने प्राप्त की और उसका वास्तविक उपयोग किसने किया? क्या रकम मृत खाताधारक के खाते में जमा हुई, किसी अन्य खाते में हस्तांतरित की गई या किसी दूसरे माध्यम से वितरित हुई? क्या ऋण आवेदन पर खाताधारक के हस्ताक्षर हैं? क्या समिति की अनुमति और बैंक की स्वीकृति से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं? इन सवालों का उत्तर अनुमान से नहीं, बल्कि मूल ऋण आवेदन, भुगतान प्रविष्टियाँ, समिति के प्रस्ताव और बैंक के खाते के विवरण से मिलना चाहिए, शिकायत में आरोप लगना और आरोप का प्रमाणित होना

अलग-अलग बातें हैं, लेकिन जब मामला किसी मृत व्यक्ति के नाम पर ऋण स्वीकृति का हो, तो अभिलेखों की जांच में देरी या अस्पष्टता संदेह को और बढ़ा सकती है।

64,512 की बकाया राशि किस आधार पर निकली?

शिकायत के साथ उपलब्ध दस्तावेजों में 50,829 रुपये मूलधन और 13,683 रुपये ब्याज सहित कुल 64,512 रुपये जमा करने के लिए सूचना अथवा नोटिस का उल्लेख है, शिकायतकर्ता का सवाल है कि जब उनके अनुसार उनके पिता ने ऋण नहीं लिया था, तो उनके नाम पर बकाया राशि क्यों दर्ज हुई और वसूली की जिम्मेदारी किस आधार पर तय की गई? यदि बैंक के रिकॉर्ड में ऋण दर्ज है, तो बैंक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऋण खाते का संचालन किस आधार पर हुआ, मूलधन और ब्याज की गणना कैसे की गई और वसूली संबंधी नोटिस किस अभिलेख के आधार पर जारी किया गया, यह भी देखा होगा कि 1 लाख 29 हजार रुपये की कथित मूल ऋण राशि और 64,512 रुपये की बताई गई बकाया राशि के बीच क्या भुगतान या समायोजन हुआ था, बकाया राशि का उल्लेख अपने आप में यह साबित नहीं करता कि शिकायतकर्ता या उनके परिवार ने ऋण लिया था, उसी तरह शिकायतकर्ता का दावा भी बैंक के रिकॉर्ड की जांच के बिना अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, इसलिए ऋण खाते की शुरुआत से लेकर वर्तमान बकाया तक का पूरा हिसाब सामने आना चाहिए।

शिकायत सामने आई तो राशि जमा कराने की बात क्यों?

मामले में नया मोड़ शिकायतकर्ता के उस आरोप से आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवतेश श्रीवास्तव, जवाहरलाल कुशवाहा और विवेक कुमार चौरसिया उनके घर पहुंचे, शिकायतकर्ता के मुताबिक, उनसे कहा गया कि वे भैयाथान बैंक शाखा चलें, राशि जमा करा दी जाएगी और उन्हें केवल जमा पर्वी पर हस्ताक्षर कर शिकायत वापस लेनी होगी, शिकायतकर्ता का दावा है कि इसके बाद उन्हें बैंक शाखा ले जाया गया और राशि जमा कराने के लिए हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया गया, इस आरोप की पुष्टि के लिए घटना की तारीख, बैंक शाखा में मौजूद लोगों के बयान, जमा पर्वी, लेन-देन का रिकॉर्ड और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है, अब सवाल यह है कि यदि ऋण की स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया सही थी, तो उसकी पुष्टि मूल दस्तावेजों से क्यों नहीं की जाती? यदि ऋण खाते में बकाया राशि है, तो बैंक उसके भुगतान और गणना का पूरा विवरण क्यों नहीं देता? और यदि शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार उन्हें

सहकारिता विभाग की निगरानी पर सवाल

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उससे संबद्ध समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इन संस्थाओं में ऋण आवेदन, स्वीकृति, वितरण और वसूली की प्रक्रिया का सही रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, यदि किसी ऋण खाते में अनियमितता की शिकायत आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे रिकॉर्ड की जांच कर शिकायतकर्ता को तथ्यात्मक जवाब दें, इस मामले में विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि शिकायत मिलने के बाद क्या जांच शुरू की गई? क्या ऋण आवेदन और स्वीकृति आवेदन की जांच हुई? क्या भुगतान की राशि और वास्तविक लाभार्थी को पहचान की गई? क्या समिति के रिकॉर्ड तथा बैंक खाते का मिलान हुआ? क्या 64,512 रुपये की बकाया राशि की गणना का परीक्षण किया गया? और क्या शिकायतकर्ता पर कथित दबाव बनाने के आरोपों पर कोई कार्रवाई हुई? यदि जांच चल रही है, तो उसकी वर्तमान स्थिति और अब तक की कार्रवाई बताई जानी चाहिए। यदि शिकायत पर अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है, तो देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिए, प्रशासनिक जवाबदेही का अर्थ केवल शिकायत प्राप्त कर लेना नहीं, बल्कि उसके तथ्यों की जांच कर उचित निष्कर्ष तक पहुंचना भी है।

शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया, तो इस कथित पहल का उद्देश्य क्या था? इन सवालों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों और बैंक प्रबंधन से लिया जाना चाहिए। फिलहाल किसी के इशारे या भूमिका को प्रमाणित तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है।

राशि जमा करना और मूल शिकायत का निपटारा-दो अलग बातें

इस प्रकरण में एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है, किसी ऋण खाते में राशि जमा होना एक वित्तीय लेन-देन है, जबकि ऋण स्वीकृति की वैधता और उसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका की जांच अलग विषय है, यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर ऋण स्वीकृत किए जाने का आरोप है, तो बाद में राशि जमा हो जाने मात्र से यह सवाल समाप्त नहीं हो जाता कि आवेदन किसने दिया, दस्तावेज किसने सत्यापित किए और भुगतान किसने मिला, इसी तरह शिकायत वापस लेने का आवेदन भी अपने आप में मूल आरोपों की सत्यता या

बैंक के दस्तावेज ही बताएंगे...किसने लिया किसने दिया और किसने लौटाया

इस पूरे मामले में निर्णायक भूमिका मूल दस्तावेजों की होगी। ऋण आवेदन, केसीसी खाता खोलने के अभिलेख, समिति का प्रस्ताव, बैंक की स्वीकृति, भुगतान की प्रविष्टियाँ, मृत्यु प्रमाणपत्र, ब्याज की गणना, वसूली नोटिस और कथित जमा पर्वी को एक साथ रखकर जांच की जानी चाहिए, यदि शिकायतकर्ता को बैंक शाखा ले जाने की घटना हुई, तो उसकी तारीख और समय के आधार पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, शाखा के लेन-देन रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जांच में सहायक हो सकते हैं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऋण स्वीकृति और भुगतान के समय किन कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका थी, यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होगी? यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते, तो जांच के निष्कर्ष भी स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए।

अब कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति नहीं, तथ्यात्मक जवाब चाहिए...

सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं में जनता का भरोसा तभी मजबूत हो सकता है, जब ऋण वितरण और वसूली की प्रक्रिया पारदर्शी हो, मृत व्यक्ति के नाम पर कथित ऋण स्वीकृति का आरोप, उसके बाद बकाया राशि की मांग और अब शिकायतकर्ता पर दबाव डालने का दावा-ये तीनों पहलू अलग-अलग जांच की मांग करते हैं, शिकायतकर्ता के आरोपों को बिना जांच अंतिम सत्य मानना उचित नहीं, लेकिन उन्हें अनदेखा करना भी न्यायसंगत नहीं होगा, संबंधित अधिकारियों को मूल दस्तावेजों की जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऋण कैसे स्वीकृत हुआ, रकम किससे मिली, बकाया कैसे बना और शिकायतकर्ता को बैंक शाखा ले जाकर राशि जमा कराने तथा शिकायत वापस लेने के लिए कहे जाने के आरोप में कितनी सच्चाई है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या इस मामले की जांच ऋण के वास्तविक लाभार्थी और जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचेगी, या निष्पक्षता के नाम पर राशि जमा करने और शिकायत वापस लेने तक सीमित रह जाएगी? इसका उत्तर बयानबाजी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, बैंक रिकॉर्ड और जिम्मेदारी तय करने वाली कार्रवाई से ही सामने आएगा।

असत्यता का अंतिम प्रमाण नहीं होता, यदि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से किसी समाधान पर सहमत होता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन यदि वह दबाव या आर्थिक प्रलोभन के कारण हस्ताक्षर करने की बात कह रहा है, तो उस आरोप की स्वतंत्र जांच भी जरूरी है, सवाल यह नहीं कि रकम जमा हो सकती है या नहीं...सवाल यह है कि कथित ऋण की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय किए बिना क्या केवल राशि जमा कराने को पूरे विवाद का समाधान मान लिया जाना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब बैंक और सहकारिता विभाग को नियमों और अभिलेखों के आधार पर देना चाहिए।

शिकायतकर्ता ही रकम जमा करे, तो असली लाभार्थी का पता कैसे चलेगा?

शिकायतकर्ता की आशंका है कि विवादित राशि उनके माध्यम से जमा कराकर यह तर्क दिया जा सकता है कि परिवार की ओर से ही ऋण चुकाया जा रहा है, यदि वास्तव में ऐसा कोई प्रस्ताव

दिया गया था, तो जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि रकम किसने उपलब्ध कराई, जमा पर्वी किसके नाम थी, भुगतान किस ऋण खाते में होना था और शिकायतकर्ता को इस प्रक्रिया के परिणामों की क्या जानकारी दी गई, यदि राशि जमा हुई है, तो उसकी तारीख, रकम, भुगतानकर्ता और खाते का विवरण सार्वजनिक जांच का हिस्सा होना चाहिए, यदि राशि जमा नहीं हुई, तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता को बैंक शाखा ले जाने का आरोप किस परिस्थिति में सामने आया, किसी शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर को उसके विरुद्ध या किसी विवादित लेन-देन की वैधता के समर्थन में इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसने दस्तावेज की सामग्री समझी थी और अपनी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में जमा पर्वी की प्रति और संबंधित बैंक रिकॉर्ड निर्णायक हो सकते हैं।

अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग का शिकंजा, मनेंद्रगढ़ में दबिश देकर 6 ट्रैक्टर और 2 टिपर जब्त

-संवाददाता-
एमसीबी, 16 अक्टूबर 2026

(घटती-घटना)। जिले में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने और खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला खनिज उद्भेदना दल ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे छह ट्रैक्टर और दो टिपर वाहनों को जब्त किया।

विभिन्न क्षेत्रों में जांच के दौरान पकड़े गए वाहन

खनिज विभाग के उद्भेदना दल ने तहसील मनेंद्रगढ़ के सिरौली, चैनपुर, हस्तिनापुर और घुटुरा क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत के अवैध परिवहन में



सल्लिम पाए गए छह ट्रैक्टर एवं दो टिपर वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर परिसर में रखा गया है। विभाग की इस पहल का उद्देश्य खनिजों के अनधिकृत परिवहन पर रोक लगाना और शासन के निर्धारित नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

खनिज नियमों के उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई

खनिज विभाग के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-संवाददाता-

बैकुंठपुर, 16 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

हमारे कोरिया जिले को वर्तमान में एक बड़ी सौगात मिली है, बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में नया डाक प्रभाग मुख्यालय बनाया जाएगा, इस हेतु डाक विभाग ने कोरिया पोस्टल डिवाइजन के गठन को मंजूरी दे दी है, सरकार के इस कदम से बैकुंठपुर में डाक विभाग की प्रशासनिक भूमिका बढ़ेगी और मजबूत होगी, नए प्रभाग के गठन के बाद शीघ्र ही डाक सेवाओं से जुड़े प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों, रिकॉर्ड और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, निश्चित रूप से कोरिया जिले के



विकास की दिशा में सरकार का प्रगतिशील कदम है, जिस प्रकार से पहली अमृत स्टेशन योजना में बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन सह रेलवे कालोनी का क्रमिक विकास किया जा रहा है, फिर लोक निर्माण विभाग के संभागीय मुख्यालय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई और अब डाकघर के

संभागीय मुख्यालय को मंजूरी दी गई है, सारे कदम स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कोरिया जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसके साथ ही कोरिया के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृति की जा रही है जिससे जनतामूलक सुविधाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी, वर्तमान भाजपा की विष्णु देव साय सरकार की सहमति से ऐसे प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना से बैकुंठपुर को संभागीय मुख्यालय बनाए जाने की बहुप्रतीक्षित माँग को भी मजबूती मिलेगी, उम्मीद है इस दिशा में भी भविष्य में सकारात्मक नतीजे प्राप्त होंगे।



नजदीकी केंद्र में धान बेचने की मांग

शिवप्रसादनगर से 4-5 किमी दूर, बड़सरा ज्यादा नजदीक

किसानों को दूरी, परिवहन खर्च और समय की परेशानी

ग्रामसभा प्रस्ताव की सत्यता की जांच की मांग

समिति प्रबंधन के फैसले पर उठे सवाल

किसान हित में करौंदामुड़ा को बड़सरा केंद्र में शामिल करने की मांग

केंद्र किसानों के लिए खुला, लेकिन करौंदामुड़ा के किसानों के लिए रास्ता बंद क्यों?

किसान हित की बात, फैसले में दूरी! बड़सरा केंद्र को लेकर समिति प्रबंधन कटघरे में

केंद्र किसानों के लिए खुला, फिर करौंदामुड़ा के किसानों को सुविधा से दूरी क्यों? के किसानों को सुविधा से दूरी क्यों?

किसानों की सुविधा पर समिति प्रबंधन का पहरा? बड़सरा केंद्र में शामिल करने की मांग तेज, नजदीक केंद्र, फिर भी किसानों की दूरी बरकरार! करौंदामुड़ा को बड़सरा से जोड़ने की मांग...

149 किसानों की सूची, 100 से अधिक के समर्थन का दावा...फिर करौंदामुड़ा के किसान क्यों वंचित?

धान बेचने की सुविधा पर सवाल, करौंदामुड़ा के किसानों की मांग आखिर अनुसूची क्यों?

किसानों की परेशानी कौन सुनेगा? बड़सरा उपार्जन केंद्र के फैसले पर उठे सवाल

बड़सरा उपार्जन केंद्र में शामिल करने की मांग, 149 पंजीकृत किसानों की सूची और 100 से अधिक किसानों के समर्थन के दावे के बीच ग्रामसभा के प्रस्ताव की सत्यता जांचने की मांग

-संवाददाता-

सूरजपुर, 16 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

धान खरीदी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाना और उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को कम करना है, लेकिन जब नजदीकी गांव के किसान अपने क्षेत्र के पास स्थित खरीदी केंद्र में धान बेचने की मांग लेकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचने को मजबूर हों, तो व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है, शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र से जुड़े करौंदामुड़ा गांव के किसानों की मांग ने इसी सवाल को सामने ला दिया है।

करौंदामुड़ा के किसानों ने बड़सरा धान उपार्जन केंद्र में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष जनदर्शन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदन में किसानों ने अपनी समस्या के साथ दूरी, परिवहन खर्च, समय की बचत और खरीदी केंद्र पर पड़ने वाले भार जैसे मुद्दे उठाए हैं, किसानों का कहना है कि करौंदामुड़ा ग्राम पंचायत बड़सरा से लगा हुआ है और बड़सरा केंद्र उनके गांव के अधिक निकट पड़ता है, इसके बावजूद उन्हें शिवप्रसादनगर केंद्र में धान बेचने जाना पड़ता है, मामला देखने में भले ही एक गांव को दूसरे खरीदी केंद्र से जोड़ने का लगे, लेकिन इसके भीतर कई प्रशासनिक प्रश्न छिपे हैं, क्या केंद्र निर्धारण करते समय गांवों की भौगोलिक स्थिति और किसानों की वास्तविक सुविधा का पर्याप्त आकलन किया गया? क्या करौंदामुड़ा के किसानों की मांग पर समिति ने गंभीरता से विचार किया? और यदि उन्हें बड़सरा केंद्र में शामिल करने में कोई बाधा है, तो उसका स्पष्ट कारण किसानों को बताया गया है या नहीं? इन सवालों के जवाब अब जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग से अपेक्षित हैं।

149 पंजीकृत किसानों की सूची, सौ से अधिक किसानों के समर्थन का दावा

करौंदामुड़ा के किसानों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में पंजीकृत किसानों की सूची संलग्न है, उपलब्ध सूची में क्रमांक 1 से 149 तक किसानों के नाम दर्ज हैं, इसके अतिरिक्त, बड़सरा धान उपार्जन केंद्र में शामिल किए जाने के समर्थन में सौ से अधिक किसानों की लिखित सहमति होने का दावा आवेदन में किया गया है, किसानों ने इसे

समिति प्रबंधन पर आरोप, जवाब और रिकॉर्ड की जरूरत

किसानों की शिकायत में शिवप्रसादनगर समिति के प्रबंधक सोहराब अंसारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि करौंदामुड़ा के किसानों को बड़सरा केंद्र से जोड़ने की मांग पर समिति प्रबंधन का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा, शिकायत में हदीस अंसारी का नाम भी लिया गया है और यह आशंका व्यक्त की गई है कि अलग केंद्र पर खरीदी होने से निगरानी और पारदर्शिता बढ़ सकती है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है, इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित समिति के पत्राचार, केंद्र निर्धारण संबंधी प्रस्ताव, किसानों के आवेदन पर की गई कार्रवाई और विभाग को भेजे गए जवाब की जांच आवश्यक है, हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति की मंशा या किसी कथित अनियमितता में उसकी सलिमता को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, संबंधित व्यक्तियों और समिति का पक्ष सामने आने से मामले की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी, जांच का एक सीधा सवाल यह भी है कि क्या समिति ने करौंदामुड़ा के किसानों की मांग पर कोई लिखित निर्णय लिया है? यदि लिया है, तो उसका आधार क्या है? क्या किसानों को कारण बताया गया? क्या बड़सरा केंद्र की क्षमता और दूरी का तुलनात्मक आकलन हुआ? और क्या सहकारिता विभाग ने इस विवाद पर कोई स्वतंत्र समीक्षा की? इन सवालों के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि विवाद किसी वास्तविक प्रशासनिक बाधा के कारण लंबित है या निर्णय प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है।

अपनी सामूहिक मांग बताते हुए प्रशासन से पुनर्विचार की अपील की है, यदि यह मांग वास्तव में बड़ी संख्या में किसानों की जरूरत को दर्शाती है, तो उसका परीक्षण केवल औपचारिक पत्राचार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, किसानों की सूची का पंजीयन रिकॉर्ड से मिलान, समर्थन पत्रों का सत्यापन और गांव की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर निर्णय लिया जा सकता है, इससे यह भी स्पष्ट होगा कि कितने किसान बड़सरा केंद्र से जुड़ना चाहते हैं और इससे खरीदी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों की मांग का अर्थ यह नहीं कि केंद्र बदलना स्वतः अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जब पंजीकृत किसानों की सूची और समर्थन पत्र प्रशासन के सामने रखे गए हैं, तब उन पर विचार करने और निर्णय के कारण बताने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की बनती है, किसानों की सुविधा के सवाल का जवाब सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि व्यवस्था पहले से चल रही है।

समिति प्रबंधन पर किसानों के आरोप, लेकिन जांच के बिना निष्कर्ष नहीं

किसानों की ओर से उठाए गए सवालों के बीच शिवप्रसादनगर समिति के प्रबंधक सोहराब अंसारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि करौंदामुड़ा के किसानों को बड़सरा केंद्र से जोड़ने की मांग पर समिति प्रबंधन का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा, शिकायतकर्ता यह आशंका भी जता रहे हैं कि अलग केंद्र पर खरीदी होने से धान खरीदी की प्रक्रिया और रिकॉर्ड की निगरानी अधिक स्पष्ट हो सकती है, शिकायतकर्ता ने हदीस अंसारी को भी अपने आरोपों में उल्लेखित किया है और दावा किया है कि नए उपार्जन केंद्र से खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की आशंका के कारण इसका विरोध किया जा रहा है, हालांकि, उपलब्ध आवेदन और किसान सूचियां इन व्यक्तियों की कथित मंशा या किसी अनियमितता में सलिमता को अपने आप प्रमाणित नहीं करती, इन आरोपों की पुष्टि के लिए समिति के पत्राचार, केंद्र निर्धारण संबंधी प्रस्ताव, विभागीय निर्णय और संबंधित पक्षों का जवाब आवश्यक है।

चार-पांच किलोमीटर की दूरी बनाम नजदीकी केंद्र की सुविधा

किसानों के आवेदन में शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र की दूरी लगभग चार से पांच किलोमीटर बताई गई है, उनका कहना है कि बड़सरा केंद्र करौंदामुड़ा के अधिक निकट है, किसानों के अनुसार, नजदीकी केंद्र से जुड़ने पर धान परिवहन का खर्च और समय कम होगा तथा खरीदी के दौरान होने वाली भागदौड़ से राहत मिलेगी, धान खरीदी केवल उपज लेकर केंद्र पहुंचने भर की प्रक्रिया नहीं है, किसान को परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, टोकन और निर्धारित समय के अनुरूप उपज पहुंचानी होती है तथा खरीदी प्रक्रिया पूरी होने तक कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दूरी कम होने का सीधा संबंध किसान के समय और खर्च से जुड़ता है, यही वजह है कि किसानों की मांग को केवल केंद्र बदलने की मांग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, प्रशासन को यह देखना होगा कि बड़सरा केंद्र में करौंदामुड़ा को शामिल करने से क्या व्यावहारिक लाभ होगा, केंद्र की क्षमता कितनी है और क्या खरीदी संबंधी नियम इसकी अनुमति देते हैं, यदि कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधा है, तो उसका कारण भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, किसानों के लिए बनाई गई व्यवस्था में किसान ही अपनी सुविधा समझने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाएं, तो व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो जाती है।

शिवप्रसादनगर केंद्र पर भार कम करने का तर्क भी आवेदन में

किसानों ने अपने आवेदन में शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र पर आसपास के कई गांवों के किसानों का दबाव होने की बात कही है, दस्तावेज में लगभग दस गांवों के करीब दो हजार पंजीकृत किसानों का उल्लेख किया गया है, किसानों का तर्क है कि करौंदामुड़ा को बड़सरा केंद्र से जोड़ने पर शिवप्रसादनगर केंद्र पर भार कम करने में भी मदद मिल सकती है, हालांकि, इन आंकड़ों की पुष्टि संबंधित विभाग के पंजीयन और केंद्रवार रिकॉर्ड से की जानी चाहिए, यदि किसी एक केंद्र पर बड़ी संख्या में किसानों का दबाव है और नजदीकी केंद्र में उन्हें

किसान हितैषी दावों की असली परीक्षा स्थानीय फैसलों में

सरकार और प्रशासन की किसान हितैषी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ जमीन पर किसानों तक पहुंचे, खरीदी केंद्रों का संचालन, किसानों का पंजीयन, टोकन व्यवस्था और परिवहन की सुविधा—ये सभी पहलू इसी उद्देश्य से जुड़े हैं, लेकिन यदि किसानों को अपनी स्थानीय समस्या के समाधान के लिए बार-बार आवेदन देना पड़े, तो संबंधित व्यवस्था की समीक्षा करना जरूरी हो जाता है, करौंदामुड़ा के किसान यह दावा कर रहे हैं कि बड़सरा केंद्र उनके लिए अधिक सुविधाजनक है, प्रशासन को इस दावे का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करना चाहिए, इसमें गांव से दोनों केंद्रों की वास्तविक दूरी, किसान संख्या, केंद्र की क्षमता, खरीदी व्यवस्था और लागू नियमों को शामिल किया जाना चाहिए, निर्णय चाहे किसानों की मांग के पक्ष में हो या नियमों के आधार पर उसके विपरीत, उसकी वजह स्पष्ट होनी चाहिए, किसान हित का अर्थ केवल केंद्र खोल देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि केंद्रों का निर्धारण वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हो। इसी तरह पारदर्शिता का अर्थ सिर्फ रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि निर्णय के आधार और प्रक्रिया का जवाबदेह बनाना भी है।

समायोजित करना नियमों तथा उपलब्ध क्षमता के अनुरूप संभव है, तो इस विकल्प की जांच करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित होगा, दूसरी ओर, केवल दूरी के आधार पर केंद्र बदलना भी पर्याप्त नहीं होगा, खरीदी की क्षमता, भंडारण, परिवहन व्यवस्था, पंजीयन की प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक शर्तों का परीक्षण आवश्यक है, यही वह बिंदु है जहां सहकारिता विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, किसानों की मांग का समर्थन या विरोध करने से पहले रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, यदि मांग व्यावहारिक है, तो उस पर कार्रवाई का रास्ता तलाश जाना चाहिए, यदि संभव नहीं है, तो नियमों और तथ्यों के साथ कारण दर्ज होना चाहिए।

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर भी उठे सवाल

इस विवाद का एक अहम पहलू ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव की स्थिति है, किसानों के ज्ञापन में कहा गया है कि करौंदामुड़ा को बड़सरा केंद्र में शामिल नहीं किए जाने से संबंधित प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्तुत किया गया था, शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि यह प्रस्ताव किसानों की वास्तविक इच्छा और व्यापक सहमति के अनुरूप नहीं है, इसी कारण उन्होंने ग्रामसभा की कार्यवाही, उपस्थिति और प्रस्ताव में दर्ज सहमति का निष्पक्ष सत्यापन करने की मांग की है, यह आरोप अपने आप में किसी अनियमितता को सिद्ध नहीं करता, लेकिन इसकी जांच के लिए स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है, ग्रामसभा की मूल कार्यवाही रजिस्टर, उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामीणों के बयान लेकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि प्रस्ताव किस परिस्थिति में पारित हुआ था, यदि प्रस्ताव वास्तव में व्यापक सहमति से पारित हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, यदि ग्रामीणों की सहमति को लेकर विवाद है, तो उसका समाधान भी दस्तावेजों और निष्पक्ष सत्यापन के आधार पर होना चाहिए, गांव के किसानों से जुड़ा निर्णय किसी एक कागज की मौजूदगी भर से अंतिम नहीं माना जाना चाहिए, उस कागज की वास्तविकता और प्रक्रिया भी जांच के दायरे में होनी चाहिए।

अब कलेक्टर और सहकारिता विभाग से अपेक्षित है स्पष्ट कार्रवाई

करौंदामुड़ा के किसानों का मामला अब जनदर्शन में पहुंच चुका है, उपलब्ध दस्तावेजों में पंजीकृत किसानों की सूची, बड़सरा केंद्र से जोड़ने की मांग और समर्थन पत्रों का उल्लेख है, ऐसे में प्रशासन के पास जांच शुरू करने के लिए प्रारंभिक आधार मौजूद है, अगला कदम इन दस्तावेजों की पुष्टि और संबंधित पक्षों से जवाब लेकर तथ्यों के आधार पर निर्णय करना होना चाहिए, अब देखना यह है कि प्रशासन इस मांग को सामान्य आवेदन मानकर फाइलों में सीमित रखता है या स्थल निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन के जरिए स्पष्ट निर्णय लेता है, किसानों की मांग स्वीकार करना या न करना प्रशासनिक नियमों और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन मांग पर निष्पक्ष विचार और कारणयुक्त जवाब देना जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल यही है जब किसान अपनी सुविधा की जांच करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित होगा, दूसरी ओर, केवल दूरी के आधार पर केंद्र बदलना भी पर्याप्त नहीं होगा, खरीदी की क्षमता, भंडारण, परिवहन व्यवस्था, पंजीयन की प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक शर्तों का परीक्षण आवश्यक है, यही वह बिंदु है जहां सहकारिता विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, किसानों की मांग का समर्थन या विरोध करने से पहले रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, यदि मांग व्यावहारिक है, तो उस पर कार्रवाई का रास्ता तलाश जाना चाहिए, यदि संभव नहीं है, तो नियमों और तथ्यों के साथ कारण दर्ज होना चाहिए।

जांच के केंद्र में रहने चाहिए ये सवाल

- करौंदामुड़ा के किसानों को बड़सरा धान उपार्जन केंद्र से जोड़ने के आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
- क्या 149 पंजीकृत किसानों की सूची और सौ से अधिक किसानों के समर्थन का दावा विभागीय रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया?
- करौंदामुड़ा को बड़सरा केंद्र से जोड़ने के संबंध में ग्राम पंचायत का मूल प्रस्ताव क्या कहता है?
- क्या ग्रामसभा की कार्यवाही, उपस्थिति और सहमति का निष्पक्ष सत्यापन कराया गया?
- क्या शिवप्रसादनगर समिति ने किसानों की मांग पर लिखित निर्णय लिया और उसका आधार स्पष्ट किया?
- क्या बड़सरा केंद्र की क्षमता, दूरी और खरीदी व्यवस्था का परीक्षण कर करौंदामुड़ा के किसानों को वहां शामिल करने की संभावना जांची गई?
- यदि मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, तो किसानों को नियमों और तथ्यों सहित स्पष्ट जवाब कब दिया जाएगा?

सेवा संकल्प अभियान के तहत 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' पर दिया गया जोर

-संवाददाता-

कोरिया, 16 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को मानस भवन, बैकुंठपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौवें राष्ट्रीय पोषण माह एवं 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' कार्यक्रम के साथ आयोजित इस आयोजन में विधायक श्री भईयालाल राजवाड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वन्दना राजवाड़े सहित

विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। यह आयोजन बच्चों के बेहतर पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रति सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर नवजात शिशुओं के पोषण, बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं की आत्मनिर्भरता तक, परिवार एवं समाज की सक्रिय भूमिका इन प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। विधायक भईयालाल राजवाड़े



ने कहा...स्वस्थ बच्चे और सशक्त महिलाएं समृद्ध समाज का आधार हैं। प्रत्येक परिवार को गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गांव और मोहल्ले के बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन्हें बेहतर बनाने में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को अपनाते हुए बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

स्थानीय पौष्टिक आहार से मजबूत होगा पोषण
बेहतर पोषण के लिए दैनिक भोजन में विविधता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को स्थान देना महत्वपूर्ण है। दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और मोटे अनाज जैसे खाद्य पदार्थ संतुलित आहार को समृद्ध बनाते हैं। बच्चों और महिलाओं की आयु तथा जरूरत के अनुरूप पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की आदतें भी पोषण से जुड़ी आवश्यक कड़ियां हैं।

सशक्त नारी, युवा उड़ान थीम पर 2 नवंबर को मनेगा राज्योत्सव

-संवाददाता-

कोरिया, 16 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 2 नवंबर को एक दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' होगी। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को आयोजन के लिए

अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रदर्शनी की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इनमें विभागीय उपलब्धियों के साथ राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं सफल परियोजनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में शासन की कल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की नई औद्योगिक इकाई का किया भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ में श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही सरकार : सीएम साय

रायपुर,16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश के युवाओं तक रोजगार और आर्थिक अवसरों के रूप में पहुंचे,यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति में ऐसे श्रम आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने की क्षमता है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं,बल्कि निवेश को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रदेश की समृद्धि का माध्यम बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की प्रस्तावित नई औद्योगिक इकाई के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की नई इकाई छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना में 150 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इससे साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस इकाई में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उत्पादों का निर्माण



किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन है। हमारी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योग अधिक से अधिक स्थापित हों, जो प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं। जब युवाओं को अपने ही प्रदेश में कौशल और क्षमता के अनुरूप रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम के दौरान नवचर्चनित युवाओं

को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि युवाओं के ह्थ में नियुक्ति पत्र देना किसी भी औद्योगिक निवेश की सबसे सार्थक उपलब्धि है। एक रोजगार केवल एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाता,बल्कि पूरे परिवार के जीवन में आर्थिक सुख और नई उम्मीद लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करने की पहल के लिए यश ग्रुप की सराहना की मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में

प्रदेश में तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित,50 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार : उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले छह वर्षों में प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं,जिनके माध्यम से 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आगामी औद्योगिक परियोजनाओं से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। देवांगन ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उद्योग,निवेश और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने यश ग्रुप की नई औद्योगिक इकाई को प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कंपनी प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि इकाई जल्द उत्पादन प्रारंभ करे और प्रदेश के युवाओं को रोजगार का लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन,कौशल विकास और आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों,ऊर्जा,कुशल मानव संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर

छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। नीति तैयार करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि प्रदेश में आने

वाला निवेश स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करे। टेक्सटाइल,फूड प्रोसेसिंग,इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही उद्योग लगाने और संचालित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। उद्यमियों के अत्यावश्यक प्रक्रियाओं और जटिलताओं से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार सुधार किए गए हैं। जन विश्वास से जुड़े सुधारों के अंतर्गत 279 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की विशेष पहल की गई है। विभिन्न अनुमतियों और स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया जा रहा है, ताकि निवेश प्रस्ताव तेजी से धरातल पर उतरें और उत्पादन तथा रोजगार सृजन शीघ्र प्रारंभ हो सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को देश-विदेश के निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब सरकार का विशेष जोर इन निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने पर है। निवेशकों को परियोजनाओं की

छत्तीसगढ़ में बनेगा 1000 किलोमीटर का धार्मिक कॉरिडोर चारधाम की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों को जोड़ने की तैयारी



रायपुर,16 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड के चारधाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी करीब 1000 किलोमीटर लंबा आस्था पथ विकसित करने की योजना है। इसके जरिए प्रदेश के 5 प्रमुख शक्तिपीठों को एक धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह राशि आस्था पथ योजना के तहत श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए है। कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत कब होगी और इसके लिए कितना बजट तय किया जाएगा, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। संभावित रूट मैप जारी किया गया है। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आस्था पथ में डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी,रतनपुर की मां महामाया,दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी, कुदरगढ़ धाम की मां बागेश्वरी और सकती जिले के चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर को शामिल किया गया है।

प्रसाद योजना क्या है? प्रसाद योजना केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना है। इसके तहत

देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर बनाना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।

- प्रस्तावित योजना: रतनपुर मंदिर के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना**
- **रतनपुर महामाया मंदिर** : समग्र विकास के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना तैयार कर केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को भेजी गई है।
 - **काम कब शुरू होगा** : कार्ययोजना को मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी तय कर काम शुरू किया जाएगा।
 - **अन्य चार शक्तिपीठ** : डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा के मंदिरों के लिए रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
 - **अभी की स्थिति**: रतनपुर की कार्ययोजना को मंजूरी और निर्माण शुरू होने की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है।

खैर लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई...हिमाचल से आरोपी गिरफ्तार,1.70 करोड़ कैश जब्त

महासमुंद,16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खैर लकड़ी के अवैध परिवहन,तस्करी और फर्जी एनओसी-बिलिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से फर्जी बिलिंग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य और शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह (67) को गिरफ्तार किया है। उनके ठिकाने से 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,ओडिशा और मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में दबिश देकर 70 टन अवैध खैर लकड़ी भी जब्त किए गए हैं। महासमुंद पुलिस की विशेष टीम ने हिमाचल प्रदेश में उन ठिकानों पर दबिश दी,जहां खैर लकड़ी की तस्करी से अर्जित रकम को खपाने में मदद की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने मनीष अग्रवाल और संजय छबड़िया से जुड़े अवैध कारोबार से संबंधित 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए। इससे पहले 7 सितंबर 2026 को आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुडुपार,थाना सरसीवा स्थित मकान पर दबिश देकर 81 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे।

हरियाणा के गोदाम से मिली 15 टन खैर लकड़ी : पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी तहसील अंतर्गत ग्राम बहोड़ा कलां स्थित श्री बालाजी ट्रेडिंग फर्म के गोदाम में तलाशी ली। यह फर्म आरोपी मनीष अग्रवाल से संबंधित बताई गई है। तलाशी के दौरान गोदाम से लगभग 15 टन अवैध खैर लकड़ी



हिमाचल प्रदेश से शिव ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तार

इस प्रकरण में पुलिस ने 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब से 67 वर्षीय सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। वह शिव ट्रेडर्स फर्म का संचालक है। पुलिस ने आरोपी को सिरमौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया और उसे महासमुंद लाया। अब उसे न्यायिक रिमांड के लिए संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

फर्जी बिलिंग और ट्रांजिट पास के जरिए खेल का आरोप

पुलिस की विवेचना के अनुसार, सतपाल सिंह ने अपनी फर्म शिव ट्रेडर्स के माध्यम से अखिलेश सिंघल, पारितोष मिश्रा, मनीष अग्रवाल, संजय छबड़िया और अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र किया। जांच में आरोप है कि वास्तविक खैर लकड़ी की आपूर्ति के बिना विभिन्न फर्मों से फर्जी बिल तैयार कराए गए। इन बिलों को वैध दिखाने के लिए वन विभाग के फर्जी ट्रांजिट पास तैयार किए गए और एचएसएन कोड का दुरुपयोग किया गया। पुलिस के अनुसार, वित्तीय लेन-देन की जांच में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक खातों के माध्यम से कई बार करोड़ों रुपये के भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है।

बरामद हुई,जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अब तक कुल 70 टन अवैध खैर लकड़ी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग-जब्त की जा चुकी है।

फर्जी एनओसी मामले में जुलाई में दर्ज हुआ था केस

इस मामले की शुरुआत वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा की शिकायत के बाद हुई। शिकायत में 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई एनटीपीएस एनओसी में कूटरचना और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस आधार पर थाना पिथौरा में 9 जुलाई 2026 को अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस),आर्म्स एक्ट और भारतीय नव अधिनियम,1927 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

पहले भी से चुकी है गिरफ्तारियां

महासमुंद पुलिस इस मामले में पहले पारितोष मिश्रा और अखिलेश सिंघल को 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। पारितोष मिश्रा पीयूष इंटरप्राइजेस और अखिलेश सिंघल सिंघल इंटरप्राइजेस से जुड़ा बताया गया है। पुलिस अब गिरोंह के अन्य सदस्यों,फर्जी बिलिंग नेटवर्क के खतों में हुए लेन-देन और अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की जांच कर रही है।

अवैध कमाई की कुर्की की तैयारी

पुलिस के मुताबिक,अपराध से अर्जित नकदी की कुर्की और आरोपियों को अवैध आर्थिक लाभ से वंचित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत वैधानिक कार्रवाई का रहा है। महासमुंद पुलिस का कहना है कि वन संपत्ति की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और अंतरराज्यीय धोखाधड़ी में शामिल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

25 करोड़ की रंगदारी मामले...फरार आरोपी शोएब डेबर पर 10 हजार का इनाम घोषित, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने की घोषणा



रायपुर,16 अक्टूबर 2026। कांग्रेस नेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब डेबर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच रायपुर पुलिस कमिश्नर ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले सेंट्रल डीसीपी ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इस तरह इनाम की राशि 15 हजार रुपये हो गई है। बता दें कि शोएब डेबर के खिलाफ तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज है, जिसके बाद से वह फरार है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। इस बीच रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने उसपर इनाम की घोषणा की है। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मुताबिक, आरोपी की सूचना देने वाले को 10 हजार का नगद इनाम मिलेगा। पहले भी सेंट्रल डीसीपी ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इस तरह इनाम की राशि 15 हजार रुपये हो गई है। पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को प्रार्थी आनंदमल कुकरेजा के मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। आरोपी ने कथित तौर पर खुद को अमन साहू गैंग से जुड़ा बताते हुए 25 करोड़ रुपये की फिरेती मांगी और प्रार्थी, उसके बेटे व परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज कर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए रविवार को शोएब डेबर को पकड़ा था।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटेला : टामन सिंह सोनवानी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका,जमानत याचिका खारिज...

रायपुर,16 अक्टूबर 2026। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की वर्ष 2020 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आवेदक की सलिमता दर्शाते हैं। कोर्ट ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं। बता दें कि गुरुवार को टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु



की सिंगल बेंच में हुई थी। टामन सिंह सोनवानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आवेदन का विरोध किया। सोनवानी को जुलाई 2026 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले रायपुर स्थित विशेष अदालत ने 20 अगस्त 2026 को उनकी

जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के अनुसार, सोनवानी के छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहने के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुईं। मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने फरवरी 2024 में प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में सीबीआई ने भी जांच कर आरोपत्र तथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किए। ईडी का आरोप है कि भर्ती नियमों में 14 जुलाई 2021 को संशोधन कर परिवार की परिभाषा से भतीजे शब्द को हटाया गया, जिससे सोनवानी के भर्तीजों नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी का क्रमशः डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पद पर चयन हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि बजरंग पावर एंड इम्प्यात लिमिटेड की ओर से ग्रामीण विकास समिति को कथित शैक्षणिक परियोजना के लिए सीएसआर

ईडी ने यह भी बताया कि 3 जून 2026 को तलाशी के दौरान दस्तावेज,इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल सामग्री और 8.45 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। कथित अपराध की आय से जुड़ी कुछ संपत्तियों के संबंध में 21 सितंबर 2026 को अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। एजेंसी ने 22 सितंबर 2026 को सोनवानी सहित सात आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की। सोनवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने दलील दी कि जांच एजेंसियों के पास संबंधित दस्तावेज और बैंक लेनदेन पहले से उपलब्ध है। गिरफ्तारी के बाद कोई आपतिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आरोपी के इनकार से मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी सलिमता की आशंका समाप्त नहीं होती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल आधार पर जमानत के लिए ऐसा साक्ष्य होना चाहिए, जिससे पता चले कि हिरासत में आवश्यक उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आरोपी की जान को खतरा है। रिकॉर्ड में इस संबंध में पर्याप्त मेडिकल सामग्री नहीं मिली। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 की शर्तों के तहत जमानत देने का आधार नहीं दिया और याचिका खारिज कर दी।

योगदान के रूप में 45 लाख रुपये दिए गए। एजेंसी ने 33 से अधिक अभ्यर्थियों से लगभग तीन करोड़ रुपये जुटाने और

कुल अपराध की आय करीब 3.45 करोड़ रुपये होने का दावा किया है। ये सभी अभियोजन के आरोप हैं।

आरएसएस नेताओं की बेटियां मुस्लिमों के घर ब्याही, पहले अपना घर सुधारें फिर धर्म सिखाएं : भूपेश

दुर्ग-भिलाई,16 अक्टूबर 2026। दुर्ग में बुधवार रात नवनिर्माण समिति के गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों की एंटी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने धक्का-मुक्की भी हुई थी। इस

घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और बजरंग दल पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के बड़े नेताओं के परिवारों में भी मुस्लिमों के यहां रिश्ते हुए हैं। वे पहले अपना घर सुधारें, फिर दूसरों को धर्म का ज्ञान दें। वहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण पर उन्होंने कहा कि



भिलाई नहीं बिकेगा। इस बात को समझ लें। भिलाई को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल, दुर्ग नवनिर्माण समिति

के गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। इसके अगले दिन यानी बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी गरबा पंडाल में पहुंचे और मां दुर्गा की महाअरती की। इस दौरान भूपेश बघेल ने घटनाक्रम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के

लोग बताएं कि वे क्रॉस प्रमुख मोहन भागवत को मानते हैं या नहीं। मोहन भागवत इंग्लैंड में जाकर कहते हैं कि जो मुस्लिमनों को सत्ताता है या प्रताड़ित करता है, वह हिंदू नहीं हो सकता। भागवत यह भी कहते हैं कि भारत के सभी लोगों का षष्ठ एक है। ऐसे में फिर विरोध क्यों किया जाता है। भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस

प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों के घर जाकर बैठते हैं। एक तरफ वे इस तरह की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता भी मुसलमानों के यहां रिश्ते करते रहे हैं। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी,सुरजी मनोहर जोशी और मोहन भागवत के परिवार की लड़कियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अपना घर सुधार लें।